दिल्ली में प्रदूषित हवा-पानी का मुद्दा संसद में उठा

अजय पांडेय
नई दिल्ली, 18 नवंबर।

दिल्ली में जबरदस्त वायु प्रदूषण और गंदे पेयजल आपूर्ति के मुद्दे पर सोमवार को संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार घिरती नजर आई।

दिल्ली के भाजपा सांसदों ने लोकसभा में गंदे पानी की आपूर्ति का मामला उठाया, तो केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्री मंत्री रामविलास पासवान ने राजधानी में पेयजल की खराब गुणवत्ता का जिक्र करते हुए कहा कि यहां कोई भी व्यक्ति नल का पानी नहीं पी सकता क्योंकि यहां के नलों से नीला-पीला पानी निकलता है। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गंदे पानी की आपूर्ति के आरोप को खारिज करते हुए केंद्रीय मंत्री पर इस मुद्दे पर सियासत करने का आरोप लगाया।

दूसरी ओर राजधानी में वायु प्रदूषण का मामला भी लोकसभा में उठाया गया। भाजपा सांसद जगदंबिका पाल और हंसराज हंस ने इस मसले को सदन में उठाया जबकि इस बेहद अहम मुद्दे पर विभिन्न दलों के अन्य सदस्यों ने अपने अपने तरीके से चिंता दर्ज कराई।

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर इलेक्ट्रिक कार में संसद भवन पहुंचे तो भाजपा सांसद मनोज तिवारी सहित कुछ अन्य सांसद साइकिल चलाकर सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने पहुंचे। कांग्रेस के गौरव गोगोई मास्क लगाकर संसद परिसर पहुंचे।

लोकसभा में शून्यकाल के दौरान भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी और मनोज तिवारी द्वारा दिल्ली में गंदे पानी की आपूर्ति का मामला उठाए जाने पर केंद्रीय मंत्री पासवान ने राजधानी में पेयजल की खराब गुणवत्ता का जिक्र करते हुए कहा कि दिल्ली का एक भी विधायक यह कह दे कि हमारे इलाके में पानी स्वच्छ मिलता है।

उन्होंने कहा-हम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (बीआइएस) के दो-तीन अधिकारी देते हैं और दो-तीन अधिकारी आप (दिल्ली सरकार) दे दीजिए। वे जिस इलाके में भी चाहे संयुक्त रूप से पानी के नमूने एकत्र करें। केंद्रीय मंत्री ने कहा-जिस भी प्रयोगशाला से होगा, हम उसकी जांच कराएंगे और रिपोर्ट सार्वजनिक करेंगे। उन्होंने कहा कि आप सब हमारा साथ दीजिए। इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए।

पासवान ने कहा-आज दिल्ली में स्थिति यह है कि कोई भी व्यक्ति नल का पानी नहीं पी सकता (बगैर फिल्टर किए या गर्म किए)। नल से नीला-पीला पानी निकलता है।

उन्होंने कहा कि इससे सबसे ज्यादा गरीब तबके के और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग व बच्चे प्रभावित होते हैं। उन्होंने कहा-मैंने हाल ही में पानी के नमूने मंगाए थे लेकिन प्राथमिक स्तर पर ही ये सभी नाकाम साबित हो गए। जबकि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार का दावा है कि यह (पानी) यूरोपीय मानदंडों के अनुरूप है।

भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली में पानी की गुणवत्ता का विषय उठाते हुए कहा कि दिल्ली में आप सरकार द्वारा स्वच्छ पेयजल आपूर्ति पर जो रकम खर्च की जानी चाहिए थी उसे सबसिडी देने में खर्च किया जा रहा है। पानी की पाइपें खराब हो रही हैं।

भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली में स्वास्थ्य के लिए आपात स्थिति है। उन्होंने कहा कि बीआइएस की जांच में यह खुलासा हुआ कि 20 राज्यों में सबसे खतरनाक स्थिति (पानी की) दिल्ली में है।

लोकसभा में चार नए सदस्यों ने शपथ ली

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 18 नवंबर।

संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सोमवार को लोकसभा में चार नए सदस्यों को शपथ दिलाई गई। लोजपा के प्रिंस राज, भाजपा की हिमाद्री सिंह, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के श्रीनिवास दादा पाटील और द्रमुक के डीएम कथिर आनंद ने शपथ ली। प्रिंस राज बिहार की समस्तीपुर लोकसभा सीट से चुनकर आए हैं। उनके पिता रामचंद्र पासवान के निधन के बाद इस सीट के लिए उपचुनाव हुआ था। मध्य प्रदेश के शहडोल संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित भाजपा की हिमाद्री सिंह 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में निजी कारणों से शपथ नहीं ले पाई थीं।

राकांपा के श्रीनिवास पाटिल ने महाराष्ट्र की सतारा लोकसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में जीत दर्ज की है। इस सीट से सांसद रहे उदयन राजे भोंसले कुछ हफ्ते पहले सदन की सदस्यता से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गए थे। इसके बाद हुए उपचुनाव में पाटिल ने भोंसले को पराजित कर दिया।

नए कलेवर में दिखे राज्यसभा के मार्शल

नई दिल्ली, 18 नवंबर (भाषा)।

राज्यसभा के 250वें सत्र के प्रारंभ होने पर सोमवार को आसन का नजारा कुछ बदला सा लग रहा था। यह बदलाव आसन की सहायता के लिए मौजूद रहने वाले मार्शलों की एकदम नई वेषभूषा के कारण महसूस हुआ।

आम तौर पर उच्च सदन की बैठक आसन की मदद करने वाले कलगीदार पगड़ी पहने किसी मार्शल के सदन में आकर यह पुकार लगाने से शुरू होती है कि 'माननीय सदस्यों, माननीय सभापति जी।' किंतु सोमवार को इन मार्शलों के सिर पर पगड़ी के बजाय गहरे हरे रंग (ऑलिव ग्रीन) की पी-कैप थी। साथ ही उन्होंने गहरे हरे रंग (ऑलिव ग्रीन) की आधुनिक सुरक्षाकर्मियों वाली वर्दी धारण कर रखी थी।

राज्यसभा सचिवालय के सूत्रों ने बताया कि इस बारे में किए गए उच्चस्तरीय फैसले के बाद मार्शल के लिए जारी ड्रेस कोड के तहत सदन में तैनात मार्शलों को कलगी वाली सफेद पगड़ी और पारंपरिक औपनिवेशिक परिधान की जगह अब गहरे हरे रंग की वर्दी और कैप पहननी होगी। राज्यसभा सचिवालय के सूत्रों के अनुसार पिछले कई दशकों से चल रहे इस ड्रेस कोड में बदलाव की मांग मार्शलों ने ही की थी। गौरतलब है कि सभापति सहित अन्य पीठासीन अधिकारियों की सहायता के लिए लगभग आधा दर्जन मार्शल तैनात होते हैं।

एक अधिकारी ने बताया कि मार्शलों ने उनके ड्रेस कोड में बदलाव कर ऐसा परिधान शामिल करने की मांग की थी जो पहनने में सुगम और आधुनिक 'लुक' वाली हो। इनकी मांग पर को स्वीकार कर राज्य सचिवालय और सुरक्षा अधिकारियों ने नई ड्रेस को डिजायन करने के लिए कई दौर बैठकें कर नए परिधान को अंतिम रूप दिया। सूत्रों के अनुसार मार्शलों ने इस बदलाव पर खुशी जाहिर की है।

फारूक को हिरासत में रखने पर लोकसभा में हंगामा

पेज 1 का बाकी

शुरू कर दिया। कांग्रेस के सदस्य नारेबाजी करते हुए आसन के निकट पहुंच गए। उन्होंने 'फारूक अब्दुल्ला को वापस लाओ' और 'लोकतंत्र की हत्या बंद करो' के नारे लगाए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हंगामे के बीच ही प्रश्नकाल चलाना शुरू किया। उन्होंने इस दौरान विपक्षी सदस्यों से अपनी सीटों पर जाने का आग्रह करते हुए कहा कि वह हर विषय पर चर्चा को तैयार हैं और सदन में नारेबाजी नहीं होनी चाहिए। सदन सबकी सहमति से चलता है, सभी सदस्य सदन की गरिमा बनाए रखें। सदन में नारेबाजी के बीच संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि सरकार हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आश्वासन दिया है।

प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद अध्यक्ष ने कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी को उनकी बात रखने का मौका दिया। इस दौरान हंगामा कर रहे सदस्य अपनी सीटों पर जाकर बैठ गए। सदन में कांग्रेस के नेता चौधरी ने कहा कि गत पांच अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह ने सदन को आश्वासन दिया था कि फारूक अब्दुल्ला को हिरासत में नहीं लिया गया है और उनकी सेहत खराब है। लेकिन वह 108 दिन से हिरासत में हैं। उन्होंने कहा, 'यह अन्याय और जुल्म क्यों?' चौधरी ने मांग की कि नेशनल कान्फ्रेंस नेता अब्दुल्ला को तत्काल रिहा कर सदन में लाया जाए।

चिदंबरम ने जमानत याचिका खारिज करने के आदेश को दी चुनौती

नई दिल्ली, 18 नवंबर (भाषा)।

आइएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने उनकी जमानत याचिका रद्द करने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। प्रधान न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत के तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने चिदंबरम की याचिका का उल्लेख किया और इसे सुनवाई के लिए शीघ्र सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया।

उनका कहना था कि पूर्व वित्त मंत्री करीब 90 दिन से जेल में बंद हैं। पीठ ने सिब्बल से कहा- 'हम देखेंगे' और यह भी कहा कि जमानत याचिका मंगलवार या बुधवार को सुनवाई के लिए ली जाएगी। हाई कोर्ट ने 15 नवंबर को चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि पहली नजर में उनके खिलाफ गंभीर किस्म के आरोप हैं और उन्होंने इस अपराध में सक्रिय तथा मुख्य निभाई है।

चिदंबरम को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 21 अगस्त को आइएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार किया था। इस मामले में कांग्रेस के नेता को सुप्रीम कोर्ट ने 22 अक्तूबर को जमानत दे दी थी। इसी बीच, सीबीआइ की प्राथमिकी के आधार पर दर्ज धनशोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 16 अक्तूबर को चिदंबरम को गिरफ्तार कर लिया था।

निचली अदालत के आदेश पर धनशोधन के मामले में वे 27 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में हैं।

जांच ब्यूरो ने 15 मई 2017 को दर्ज मामले में आरोप लगाया था कि वित्त मंत्री के रूप में चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान 2007 में विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड द्वारा आइएनएक्स मीडिया समूह को विदेश से 305 करोड़ रुपए का धन प्राप्त करने की मंजूरी देने में अनियमितताएं हुईं।

इस प्राथमिकी के आधार पर ही प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन का मामला दर्ज किया था।

'सिर्फ संदर्भ के लिए किया अन्य मामले के तथ्यों का जिक्र'

नई दिल्ली, 18 नवंबर (भाषा)।

दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को स्पष्ट किया कि पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को जमानत देने से इनकार करने वाले आदेश में अन्य मामले के तथ्यों का उल्लेख केवल संदर्भ के लिए किया गया। न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने कहा कि 15 नवंबर के आदेश में कहीं इसका जिक्र नहीं किया गया था कि एक विशेष पैराग्राफ में की गई टिप्पणियां चिदंबरम के मामले की हैं। अदालत ने मामले पर स्वतः संज्ञान लेने के बाद यह स्पष्टीकरण दिया है। यह स्पष्टीकरण उन खबरों के बाद दिया गया है जिसमें कहा गया कि फैसले में 'कट एंड पेस्ट' का इस्तेमाल किया गया।

न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने कहा, 'जैसा कि आरोप लगाया गया है, कोई कट एंड पेस्ट नहीं किया गया और मैं इसके द्वारा स्पष्ट करता हूं कि पैराग्राफ 35 में की गई टिप्पणियों को 'रोहित टंडन बनाम प्रवर्तन निदेशालय' के मामले के तौर पर पढ़ा जाए या सीमित रखा जाए।'

अदालत ने 'गलत प्राक्कथनों' को प्रकाशित करने वाले दो समाचार पत्रों के मुख्य संपादकों को मंगलवार को अपने-अपने अखबारों में इसके बारे में स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। उसने हाई कोर्ट की रजिस्ट्री को सोमवार को उसके आदेश की एक प्रति दोनों अखबारों के मुख्य संपादकों को भेजने के निर्देश भी दिए हैं।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि चिदंबरम के 15 नवंबर के जमानत आदेश के पैराग्राफ 34 में 'रोहित टंडन बनाम प्रवर्तन निदेशालय' में इस अदालत द्वारा की गई टिप्पणियों का संदर्भ ही रिकॉर्ड किया गया। पंद्रह नवंबर के अपने 41 पृष्ठों के आदेश में न्यायमूर्ति कैत ने 2017 के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों के कुछ पैराग्राफों का हवाला दिया जिसमें धनशोधन के एक मामले में दिल्ली के वकील रोहित टंडन की जमानत खारिज कर दी गई थी।

टंडन को 2016 में गिरफ्तार किया गया था। वह नोटबंदी से संबंधित धनशोधन मामले में एक आरोपी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने धनशोधन मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार करने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के शुक्रवार के आदेश को चुनौती देते हुए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। आइएनएक्स मीडिया धन शोधन मामले में ईडी ने 16 अक्तूबर को 74 वर्षीय चिदंबरम को गिरफ्तार किया था।

महाराष्ट्र के सियासी हाल पर की चर्चा

पेज 1 का बाकी

रणनीति तय की जाएगी। पवार ने कहा कि हमने महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति के बारे में विस्तार से चर्चा की है। उन्होंने कहा कि मैंने सोनिया गांधी को इस बारे में जानकारी दी। अब दोनों (कांग्रेस-राकांपा) दलों के कुछ नेता मिलेंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। पवार ने कहा कि मुलाकात के दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता एके एंटनी भी मौजूद थे। पवार ने कहा कि हम समाजवादी पार्टी और स्वाभिमानी शेतकारी संगठन जैसे उन सभी पार्टियों के साथ चर्चा करना चाहते हैं जो हमारे साथ चुनाव लड़े थे।

इससे पहले महाराष्ट्र के सभी 44 कांग्रेसी विधायकों ने दिल्ली आकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की।

ये विधायक पहले एके एंटनी से मिले जबकि बाद में उनकी मुलाकात महाराष्ट्र के प्रभारी मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से भी हुई। सूत्रों ने बताया कि पार्टी के 44 में से 22 विधायक पहली बार चुनाव जीतकर आए हैं और सरकार में शामिल होने को लेकर बेहद उतावले हैं। इनको लेकर सूबे के वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पहले ही बताया है कि यदि हम सरकार से बाहर रहने का फैसला लेते हैं तो विधायकों के टूटने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। सूत्रों ने बताया कि भाजपा को सत्ता से बाहर रखने का नारा देकर कांग्रेस शिवसेना से हाथ मिलाने को तैयार है लेकिन देरी राकांपा की ओर से हो रही है। पवार सरकार गठन के लिए थोड़ा और वक्त चाहते हैं और कांग्रेस किसी भी सूरत में पवार के साथ ही शिवसेना को समर्थन की अपनी चिट्ठी सौंपेगी। बताया यह भी जा रहा है कि राकांपा में भी सरकार गठन को लेकर कुछ वरिष्ठ नेताओं को एतराज है हालांकि पवार की बेटी सुप्रिया सुले और उनके भतीजे अजित पवार सरकार गठन के पक्ष में हैं।

शीतकालीन सत्र उच्च स्तर की चर्चा के साथ सार्थक होगा : मोदी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 18 नवंबर।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को उम्मीद जताई कि संसद का शीतकालीन सत्र उच्च स्तर की चर्चा के साथ सार्थक सत्र होगा, जिसमें सभी सांसद अपना-अपना योगदान देंगे।

प्रधानमंत्री ने सत्र शुरू होने से पहले संसद परिसर में पत्रकारों से कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है।

संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार को शुरू हुआ और 13 दिसंबर तक चलेगा। मोदी ने कहा कि शीतकालीन सत्र 2019 में संसद का अंतिम और एक बहुत महत्वपूर्ण सत्र होगा।उन्होंने कहा कि यह राज्यसभा का 250 वां सत्र है।

इस सत्र के दौरान 26 नवंबर को संविधान दिवस भी आता है जब हमारा संविधान 70 वर्ष पूरे करेगा। संविधान एकता, अखंडता, विविधता और देश की खूबसूरती को खुद में समेटे हुए है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान का 70वां वर्ष देश के लोगों की जागरूकता के लिए भी अवसर होगा। हाल ही में उन्हें सभी दलों के नेताओं से मिलने का मौका मिला। यह सत्तापक्ष की सफलता नहीं है बल्कि यह समूचे सदन की सफलता है। इसका श्रेय सभी सांसदों को जाता है। मैं सांसदों की सक्रिय सकारात्मक भूमिका के लिए उनका आभार प्रकट करता हूं।

मोदी ने कहा कि यह सत्र देश के विकास में तेजी लाएगा। प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों को शुभकामनाएं देते हुए आशा जताई कि शीतकालीन सत्र सांसदों को देश की विकास यात्रा को मजबूत करने में और उस तेज गति से बढ़ने में भी सक्षम बनाएगा, जिस रफ्तार से दुनिया आगे बढ़ रही है।

शीतकालीन सत्र से पहले मोदी ने रविवार को सर्वदलीय बैठक में भरोसा दिलाया था कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। हालांकि, विपक्ष ने अर्थव्यवस्था में नरमी और कृषि संकट पर चिंता जताई व हिरासत में लिए गए लोकसभा सदस्य फारूक अब्दुल्ला को सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने की इजाजत देने की मांग की।

एअरटेल व वोडाफोन-आइडिया की दरें बढ़ेंगी

पेज 1 का बाकी

आवश्यकता होती है। इसमें लगातार निवेश की जरूरत होती है। इस कारण यह बहुत जरूरी है कि डिजिटल इंडिया के विचार का समर्थन करने के लिए उद्योग को व्यवहारिक बनाए रखा जाए। कंपनी ने कहा कि इसे देखते हुए एअरटेल दिसंबर महीने में उचित दाम बढ़ाएगी। भारती एअरटेल ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 23,045 करोड़ रुपए का घाटा दर्ज किया है।

कंपनी ने यह भी कहा कि वह मानती है कि दूरसंचार नियामक ट्राई भारतीय मोबाइल क्षेत्र में मूल्य निर्धारण में तर्कसंगत व्यवहार लाने के लिए सलाह-मशवरा की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। उधर, वित्तीय संकट से जूझ रही वोडाफोन आइडिया ने भी एक बयान में कहा कि उसने एक दिसंबर से मोबाइल सेवाओं की दरें बढ़ाने का फैसला किया है। हालांकि कंपनी ने फिलहाल टैरिफ में प्रस्तावित वृद्धि से जुड़ी जानकारी नहीं दी है। वोडाफोन आइडिया को चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 50,922 करोड़ रुपए का एकीकृत घाटा हुआ है। किसी भारतीय कंपनी का एक तिमाही में यह अब तक का सबसे बड़ा नुकसान है।

जेएनयू छात्रों के संसद मार्च पर लाठीचार्ज

पेज 1 का बाकी

कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों ने साबरमती ढाबे से दोपहर 12 बजे के आसपास संसद मार्च की शुरुआत की। विद्यार्थी विश्वविद्यालय के उत्तरी द्वार से बाहर जाना चाहते थे लेकिन द्वार के बाहर बैरिकेडिंग और भारी संख्या में जवानों की उपस्थिति थी। यहां पहुंचने पर विद्यार्थियों ने जेएनयू प्रशासन और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। धीरे-धीरे विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने लगी और वो बैरिकेडिंग को कूद कर बाहर जाने की कोशिश करने लगे। इस क्रम में पुलिस ने शुरुआती रूप से करीब 150 विद्यार्थियों को हिरासत में ले लिया जिनमें से अधिकतर छात्र नेता शामिल थे। बाद में इन सभी को रिहा कर दिया गया।

बाकी बचे विद्यार्थी आसपास की गलियों में छिपते छिपाते आउटर रिंग रोड तक आ गए औए समूह में शामिल होकर संसद की ओर मार्च करने लगे। इस बीच हिरासत में लिए गए विद्यार्थियों को फतेहपुर बेरी, दिल्ली कैंट, बदरपुर, कालकाजी, हौज खास और आइएनए थानों में रखा गया। मार्च कर रहे विद्यार्थी सवा तीन बजे तक जोर बाग मेट्रो स्टेशन तक पहुंच चुके थे।

वहां पर मौजूद भारी पुलिस बल ने पहले विद्यार्थियों को आगे नहीं बढ़ने की चेतावनी दी लेकिन जब विद्यार्थियों ने चेतावनी को अनसुना किया तो पुलिस ने लाठीजार्च किया गया जिसमें कई विद्यार्थी घायल हो गए। बाद में विद्यार्थियों ने अपनी मांगों के लिए वहीं धरना शुरू कर दिया।

लोकसभा में उठा जेएनयू में शुल्क वृद्धि का मुद्दा

पेज 1 का बाकी

में कहा कि जब से केंद्र में राजग की सरकार आई है, शिक्षा का व्यावसायीकरण होता जा रहा है। कई केंद्रीय विश्वविद्यालय इसका शिकार हैं। उन्होंने कहा कि इसका एक उदाहरण जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्रावास का शुल्क 400 फीसद तक बढ़ाने का सरकार का फैसला है। अली ने सरकार के कदम को निंदनीय बताते हुए कहा कि महंगाई के दौर में गरीब छात्र शिक्षा कैसे प्राप्त करेंगे?

दरअसल

सियाचिन में हिमस्खलन, सेना के आठ जवान दबे

पेज 1 का बाकी

में गश्ती दल के सभी जवान फंस गए। जवानों को बचाने के लिए सेना ने तत्काल अभियान शुरू कर दिया। बर्फ में कई फीट नीचे फंसे जवानों से रेडियो या वायरलेस पर भी कोई संपर्क साधा नहीं जा सका।

सभी जवानों को उत्तरी ग्लेशियर में गश्त के लिए भेजा गया था। खबर लिखे जाने तक बचाव अभियान जारी था, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल सकी थी। कराकोरम क्षेत्र में लगभग 20 हजार फुट की ऊंचाई पर स्थित सियाचिन ग्लेशियर को विश्व में सबसे ऊंचा सामरिक क्षेत्र माना जाता है, जहां सैनिकों को फ्रॉस्टबाइट (अधिक ठंड से शरीर के सुन्न हो जाने) और तेज हवाओं का सामना करना पड़ता है। ग्लेशियर पर ठंड में हिमस्खलन की घटनाएं आम हैं। साथ ही यहां तापमान शून्य से 60 डिग्री सेल्सियस नीचे तक चला जाता है। अतीत में कई बार सियाचिन में हुए हिमस्खलन के कारण जवानों को जान गंवानी पड़ी है।

सियाचिन में भारत और पाकिस्तान ने साल 1984 से अब तक युद्ध से ज्यादा खराब मौसम के चलते अपने जवानों को खोया है। साल 2016 के फरवरी में भारी हिमस्खलन के चलते करीब 10 जवान शहीद हो गए थे। लांस नायक हनमनथप्पा कोपड़ करीब 25 फीट बर्फ के भीतर दब गए थे और छह दिन तक जिंदा रहने के बाद उन्होंने दिल्ली के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली थी। कोपड़ उन दस जवानों में थे, जो करीब 20,500 फीट की ऊंचाई पर सोनम पोस्ट पर पहरेदारी करते हुए उस साल तीन फरवरी को हिमस्खलन के बाद बर्फ के साथ बहकर उसमें दब गए थे।

न्यायमूर्ति बोबडे बने देश के 47वें प्रधान न्यायाधीश

पेज 1 का बाकी

बोबडे को प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति बोबडे ने अंग्रेजी में ईश्वर के नाम पर शपथ ली। प्रधान न्ययाधीश के रूप में न्यायमूर्ति बोबडे का कार्यकाल 17 महीने से अधिक रहेगा और वे 23 अप्रैल, 2021 को सेवानिवृत्त होंगे। न्यायमूर्ति बोबडे ने शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद अपनी मां के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लिया। न्यायमूर्ति बोबडे की मां को स्ट्रेचर पर राष्ट्रपति भवन लाया गया था। न्यायमूर्ति बोबडे के शपथ ग्रहण समारोह में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रिमंडल के अनेक सदस्यों के अलावा पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह भी उपस्थित थे। इस अवसर पर पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के अलावा पूर्व प्रधान न्यायाधीश आरएम लोढा, तीरथ सिंह ठाकुर और जेएस खेहड़ भी उपस्थित थे। दरबार कक्ष में पहुंचने के बाद पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने केंद्रीय मंत्रियों और राजनीतिक व्यक्तियों से मुलाकात की और उनसे हाथ मिलाया।

मोदी ने कहा, राकांपा से सीखें पार्टियां

पेज 1 का बाकी

हुए कहा कि आसन के समक्ष आए बिना भी राजनीतिक विकास हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उच्च सदन के 250वें सत्र के अवसर पर 'भारतीय राजनीति में राज्यसभा की भूमिका ... आगे का मार्ग' विषय पर हुई विशेष चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि राकांपा और बीजद ने खुद ही तय किया है कि वे आसन के समक्ष नहीं आएंगे।

दोनों दलों की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राकांपा और बीजद के सदस्य आसन के समक्ष नहीं आते। उन्होंने कहा कि दोनों दलों ने खुद ही तय किया है कि उनके सदस्य आसन के समक्ष नहीं आएंगे। उनके सदस्यों ने इस नियम का पालन भी किया है। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि आसन के समक्ष न आने से इन दलों का राजनीतिक विकास रुक गया। ऐसा नहीं करने से उनकी विकास यात्रा नहीं रुकी। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भाजपा विपक्ष में थी, तब हमारे सदस्य भी ऐसा करते थे। उन्होंने राकांपा व बीजद की मिसाल देते हुए कहा कि मेरी पार्टी तथा अन्य दलों को भी इससे सीख लेना चाहिए। उन्होंने स्वीकार किया कि विगत में स्वयं उनकी पार्टी के सदस्य भी आसन के समक्ष गए थे।

देश के संसदीय इतिहास में राज्यसभा की भूमिका की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि सभी दलों के सदस्यों को 'रुकावट के बजाय संवाद का रास्ता चुनना चाहिए।' उन्होंने कहा कि इस सदन ने कई ऐतिहासिक पल देखे हैं और कई बार इतिहास को मोड़ने का भी काम किया है। उन्होंने 'स्थायित्व व विविधता' को राज्यसभा की दो विशेषताएं बताया। उन्होंने कहा कि भारत की एकता की जो ताकत है, वह सबसे अधिक इसी सदन में प्रतिबिंबित होती है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के लिए 'चुनावी अखाड़ा' पार कर पाना संभव नहीं होता है। किंतु इस व्यवस्था के कारण हमें ऐसे महानुभावों के अनुभवों का लाभ मिलता है। मोदी ने कहा कि इसका सबसे बड़ा उदाहरण स्वयं बाबा साहेब आंबेडकर हैं। उन्हें किन्हीं कारण से लोकसभा में जाने का अवसर नहीं मिल सका और उन्होंने राज्यसभा में आकर अपना मूल्यवान योगदान दिया। उन्होंने कहा कि यह सदन 'चैक एवं बैलेंस (नियंत्रण एवं संतुलन)' का काम करता है लेकिन 'बैलेंस और ब्लाक (रुकावट)' में अंतर रखा जाना चाहिए।

ओली ने कहा, कालापानी से फौज हटाए भारत

पेज 1 का बाकी

पड़ोसी देश के साथ सीमा को संशोधित नहीं किया गया है। केंद्र सरकार ने इस महीने की शुरुआत में नवगठित केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को दर्शाते हुए भारत के मानचित्र जारी किए थे। इन मानचित्रों में पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर, नवसृजित केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का हिस्सा है जबकि गिलगित- बल्तिस्तान केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख का हिस्सा है। इसको लेकर नेपाल सरकार ने छह नवंबर को बयान जारी किया था, जिस पर काठमांडो स्थित भारतीय दूतावास ने स्थिति स्पष्ट कर दी थी।

इसके बाद अब नेपाली प्रधानमंत्री केपी ओली के ताजा बयान से तनाव की स्थिति बन गई है। ओली ने दावा किया कि नेपाल-भारत और तिब्बत के ट्राई जंक्शन पर स्थित कालापानी का इलाका उसके क्षेत्र में आता है। यहां से भारत अपनी फौजें हटा ले।

नेपाली प्रधानमंत्री के निजी सचिव की ओर जारी बयान में कहा गया है, 'हमारी राष्ट्रभक्त सरकार किसी को भी नेपाल की सरजमीं का एक इंच भी अतिक्रमण नहीं करने देगा। पड़ोसी देश भारत को कालापानी क्षेत्र से अपने जवानों को वापस बुला लेना चाहिए।' उन्होंने इस पर बल दिया कि उनकी सरकार कूटनीति के माध्यम से कालापानी मुद्दे का हल चाहती है। प्रधानमंत्री का बयान ऐसे समय में आया है जब मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस ने अपने सहयोगी संगठन नेपाल स्टूडेंट्स यूनियन को इस मांग के साथ सड़क पर उतार दिया कि विवादित सीमा क्षेत्र से भारतीय सैनिकों की वापसी हो।

दरअसल, उत्तराखंड सीमा पर नेपाल-भारत और तिब्बत के ट्राई जंक्शन पर स्थित कालापानी करीब 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भारत का कहना है कि करीब 35 वर्ग किलोमीटर का यह इलाका उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा है। दूसरी ओर, नेपाल सरकार का कहना है कि यह इलाका उसके दारचुला जिले में आता है। वर्ष 1962 में भारत-चीन के बीच युद्ध के बाद से इस इलाके में भारत ने आइटीबीपी के जवानों को तैनात कर रखा है। दोनों देशों के बीच विवाद महाकाली नदी के उद्गम स्थल को लेकर है।

फोर्टिस के पूर्व प्रवर्तक मलविंदर सिंह की ईडी हिरासत अवधि बढ़ी

नई दिल्ली, 18 नवंबर (भाषा)।

यहां की एक अदालत ने धनशोधन मामले में फोर्टिस हेल्थकेयर के पूर्व प्रवर्तक मलविंदर सिंह और रेलीगेयर इंटरप्राइजेज लिमिटेड के पूर्व सीएमडी सुनील गोधवानी की ईडी हिरासत की अवधि सोमवार को 23 नवंबर तक बढ़ा दी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रेलीगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड (आरएफएल) के कोष के कथित गबन के संबंध में धनशोधन का मामला दर्ज किया था।

विशेष न्यायाधीश संदीप यादव ने एजंसी के विशेष लोक अभियोजक नीतेश राणा द्वारा पेश की गई एक याचिका पर दोनों आरोपियों की ईडी हिरासत की अवधि बढ़ाई। अपनी याचिका में ईडी ने सिंह और गोधवानी से पूछताछ के लिए उनकी 11 और दिन की हिरासत मांगी थी। अदालत ने सभी पक्षों की दलीलों पर विचार करते हुए कहा कि प्रभावी और सार्थक जांच के लिए आरोपियों को हिरासत में लेकर और पूछताछ किए जाने की जरूरत है। न्यायाधीश ने कहा, 'इसलिए आरोपियों को 23 नवंबर तक ईडी की हिरासत में भेजा जाता है।' मामले से जुड़े एक वकील ने बताया कि ईडी ने दोनों आरोपियों को 14 नवंबर को यहां जेल के भीतर अपनी हिरासत में लिया था जहां वे कथित घोटाले के संबंध में दिल्ली पुलिस द्वारा दायर एक मामले में बंद है। केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि सिंह और गोधवानी धनशोधन के आरोपी हैं।

स्मृति ने भारतीय पोषण कृषि कोष का किया शुभारंभ

नई दिल्ली, 18 नवंबर (भाषा)।

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने सोमवार को यहां बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह अध्यक्ष बिल गेट्स के साथ भारतीय पोषण कृषि कोष (बीपीकेके) का शुभारंभ किया।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (डब्लूसीडी) ने एक बयान में कहा कि बीपीकेके बेहतर पोषण परिणामों के लिए देश में 128 कृषि-जलवायु क्षेत्रों में विविध प्रकार की फसलों का भंडार होगा। इस कोष के शुभारंभ के मौके पर डब्लूसीडी के सचिव रवींद्र पंवार ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के भारत में स्थित कार्यालय के निदेशक हरि मेनन को इस आशय संबंधी एक पत्र सौंपा।

सबरीमला मंदिर को मिला 3.30 करोड़ का राजस्व

सबरीमला, 18 नवंबर (भाषा)।

सबरीमला के अय्यप्पा मंदिर के कपाट शनिवार को पहले दिन खुलने के साथ ही मंदिर ने 3.30 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त किया। इसकी तुलना में पिछले सीजन में मंदिर को 1.28 करोड़ रुपए का राजस्व मिला था। पिछला सीजन महिलाओं के प्रवेश के मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन के चलते प्रभावित रहा था।

दंतेवाड़ा में दो नक्सली गिरफ्तार

दंतेवाड़ा, 19 नवंबर (भाषा)।

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने दो जनमिलिशिया सदस्यों को गिरफ्तार किया है।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank
(A Government of India undertaking)
www.iob.in
आपकी प्रगति का सच्चा साथी
Good people to grow with

पोस्टल बैलेट एवं ई-वोटिंग के संबंध में दिनांक 25.10.2019 को समाचार पत्र में प्रकाशित नोटिस के संदर्भ में अनुशेष

शेयर धारकों को दिनांक 19.10.2019 को प्रेषित पोस्टल बैलेट की नोटिस में निहित विषयवस्तु के अनुसार अधिमान्य आधार पर भारत सरकार को इक्विटी शेयरों के सृजन, प्रस्ताव, निर्गमन एवं आबंटन के लिए प्रस्तावित विशेष संकल्प विषयक स्पष्टीकरणमूलक विवरण में किए गए प्रकटीकरणों के अनुक्रम में, सेबी आईसीडीआर विनियमन 2018 के अध्याय V के अनुपालन में शेयर धारकों की सूचना के लिए निम्नलिखित प्रकटीकरण एतदद्वारा किए जाते हैं।

1. बैंक के प्रवर्तक भारत सरकार को रू. 3,857 करोड़ के समेकन वाले पूंजीगत योगदान के प्रति शेयरों के अधिमान्य निर्गमन के संबंध में दिनांक 25.10.2019 को सेबी (आईसीडीआर) विनियमन 2018 के अधिनियम 164 के प्रावधानों के अनुसार संगणित निर्गम मूल्य रू. 10 के प्रति इक्विटी शेयर के लिए रू. 11.20 है (रू 1.20 प्रति इक्विटी शेयर के प्रीमियम सहित है)।
2. उक्त निर्गम मूल्य पर बैंक रू 3857 करोड़ तक के पूंजीगत अन्तः प्रवाह के प्रति भारत सरकार को 344,37,50,000 इक्विटी शेयर आबंटित करेगा।

   प्रस्तावित अधिमान्य निर्गम से पहले और उसके बाद बैंक की शेयर धारा रूप रेखा इस प्रकार होगी :

(प्रत्येक रु. 10 के हिसाब से इक्विटी शेयरों की संख्या)

विवरण	निर्गम-पूर्व धारिता		निर्गम-पश्च धारिता	
	शेयरों की संख्या	प्रतिशतता	शेयरों की संख्या	प्रतिशतता
भारत सरकार	8457562532	92.52%	11901312532	94.56%
अन्य (गैर-प्रवर्तक)	684085686	7.48%	684085686	5.44%
कुल	9141648218	100.00%	12585398218	100.00%

3. हम यह भी पुष्ट करते हैं कि न तो निर्गमकर्ता और न प्रवर्तक और न ही निदेशक इरादतन चूककर्ता हैं।

यह नोटिस बैंक की वेबसाइट www.iob.in और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.nseindia.com व www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

निदेशक मण्डल के आदेश द्वारा
कृते इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
कर्नम शेखर
प्रबंध निदेशक व सीईओ

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 18 नवंबर 2019

वस्तु एवं सेवाकर तथा सीमा शुल्क के मुख्य आयुक्त का कार्यालय, पुणे क्षेत्र
जी.एस.टी. भवन, 41-ए, ससून रोड, वाडीया कॉलेज के सामने, पी.बी. नं. 273, पुणे - 411001

खेल कोटा भर्ती - 2019-20

मुख्य आयुक्त केंद्रीय उत्पाद, सीमा शुल्क और सेवा कर पुणे जोन (सीसीए), **टॅक्स असिस्टंट्स और हवालदार** के पदो हेतु प्रतिभाशाली खिलाडियों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित करता है, जिन्होंने नीचे अधिसूचित विभिन्न खेल कूदों/खेलों में अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय और अंतर विश्वविद्यालय (अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड द्वारा संचालित) टूर्नामेंटों में देश/राज्य/विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया हो

खेल विधाएं, जिसमें आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं: 1. एथलेटिक्स (पुरुष और महिला) 2. बॉस्केटबॉल (पुरुष) 3. क्रिकेट (पुरुष) 4. बॉडी बिल्डींग (पुरुष) 5. हॉकी (पुरुष) 6. फुटबॉल (पुरुष) 7. वालीबॉल (पुरुष) 8. तैराकी (पुरुष/महिला) 9. टेबल टेनिस (पुरुष/महिला) 10. बॅडमिंटन (पुरुष/महिला) 11. गोल्फ (पुरुष) १२. लॉन टेनीस(महिला) भर्ती के लिए चिन्हित खेल विधाओं के संबंध में अतिरिक्त विवरण शैक्षिक योग्यता, हवलदार के पद के लिए शारीरिक मानक, अन्य पात्रता शर्ते और प्रक्रिया हमारी वेबसाईट http://www.punecenexcise.gov.in और www.cbic.gov.in पर उपलब्ध है. पद पूर्णतः अस्थायी है परंतु स्थायी बनाए जा सकते है. परिवीक्षा की अवधि दो वर्ष है. सादे कागज पर आवेदन विधिवत हस्ताक्षरित और सभी दृष्टि से पूर्ण निर्धारित प्रपत्र में अपर आयुक्त, संवर्ग नियंत्रण सेल, केंद्रीय वस्तू एवंम सेवाकर, सीमा शुल्क पुणे जोन, जी.एस.टी. भवन, वाडिया कॉलेज के सामने, 41/ए ससून रोड, पुणे-411001 के पास डाक द्वारा/दस्ती द्वारा 10.12.2019 को या उससे पहले सायं. 5.00 बजे तक जमा किए जा सकते है.

अपर आयुक्त
संवर्ग नियंत्रण सेल
केंद्रीय वस्तू एवंम सेवाकर,
सीमा शुल्क, पुणे जोन

दिनांकः 13.10.2019

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India
(भारत सरकार का उपक्रम)
नेहरू प्लेस शाखा
73-74, शीतला हाउस, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली 110 019 दूरभाष : 011-26412541, 26424013, 26216939
ई-मेल आईडी : agmnehruplace@unionbankofindia.com, nehruplace@unionbankofindia.com
अनुसूची 6 [नियम-8(1)]

कब्जा सूचना
(अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (द्वितीय) अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण (2002 का अधिनियम सं. 54) के तहत एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, नेहरू प्लेस शाखा, 73-74, शीतला हाउस, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली (भारत) का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते दिनांक 26.06.2019 को कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर ऋणकर्ता(ओं) मैसर्स माइक्रो पॉवर टेक्नोलॉजी प्रा.लि. (निदेशक : श्री जितेन्द्र कुमार एवं सुश्री अनुराधा कुमारी) से सूचना में उल्लिखित राशि रु. 45,57,653.27 (रुपये पैंतालीस लाख सत्तावन हजार छः सौ तिरेपन एवं सत्ताईस पैसे मात्र) तथा 01.05.2019 से ब्याज की अनुबन्ध दर पर ब्याज का पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए एक माँग सूचना संख्या 501/130107 जारी की थी।

ऋणकर्ता द्वारा राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण ऋणकर्ता तथा जनसामान्य को सार्वजनिक रूप से एतद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपभोग में यहाँ नीचे वर्णित सम्पत्तियों पर 14.11.2019 को सांकेतिक कब्जा कर लिया है।

व्यक्तिगत रूप से ऋणकर्ता तथा जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्तियों के साथ किसी प्रकार का लेन-देन रु. 45,57,653.27 (रुपये पैंतालीस लाख सत्तावन हजार छः सौ तिरेपन एवं सत्ताईस पैसे मात्र) की राशि तथा उस पर ब्याज के लिए यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया के प्रभार का विषय होगा।

प्रतिभूत अस्तियों को अवमुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के विषय में ऋणकर्ताओं/जमानतियों का ध्यान कथित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र आर.बी. प्रसाद के स्वामित्व की सेक्टर-4, वैशाली, गाजियाबाद, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201010 पर स्थित आनुपातिक हिस्से सहित सम्पत्ति सं. 4/435 का अंश, द्वितीय तल पर छत के अधिकार सहित आवासीय फ्लैट सं. एसएफ-2 माप 914 वर्ग फीट। सीमाएँ : उत्तर : दक्षिण : पूर्व : पश्चिम :

दिनांक : 14.11.2019 (अधिकृत प्राधिकारी)
स्थान : नई दिल्ली यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया

एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
बैंक ऑफिसः लक्ष्मी इंश्योरेंस बिल्डिंग, ऑसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002
फोनः 011-23238964, 9891392661

निविदा-सह-सार्वजनिक नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा आम जनता और विशेषकर कर्जदारों को सूचित किया जाता है कि वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के प्रावधानों और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के नियम 7, 8 एवं 9 के अंतर्गत एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लि. शाखा के पास बंधक निम्नलिखित सम्पत्तियों का प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा लिये गये अनुसार नीचे वर्णित अनुसार बकाया एवं आगे ब्याज, प्रभार एवं लागत आदि की वसूली के लिए इन सम्पत्तियों को निविदा-सह-सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से बेचा जाएगा।

नीलामी **एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लि., बैक आफिसः** लक्ष्मी इंश्योरेंस बिल्डिंग, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002 में **19 दिसम्बर, 2019 को अप. 3:30 बजे** आयोजित की जाएगी। सम्पत्तियों को **''जैसा है जहां है'' और ''जो है जैसा है''** आधार पर बेचा जाएगा। यह उपरोक्त कथित ऋण के कर्जदारों के लिए यदि बकाया राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जाता है तो उपरोक्त वर्णित तिथि पर नीलामी बिक्री के आयोजन के लिए बारे में सूचना भी है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

क्र. सं.	कर्जदार का नाम एवं लोन खाता सं.	सम्पत्ति का विवरण	बकाया राशि	कब्जे की तिथि	निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय एवं सुरक्षित निविदाएं (बोलियां) प्राप्त करने की अंतिम तिथि	बोली/नीलामी खुलने की तिथि	न्यूनतम आरक्षित मूल्य	धरोहर जमा राशि (ईएमडी)
1.	**हेमन्त कुमार नेलवाल एवं सोनिया नेलवाल** निवासी मकान नं.706, सेक्टर-15, वसुन्धरा गाज़ियाबाद-201010 **लोन खाता सं. 310700000828**	फ्लैट नं.एम.एफ-2 (एमआईजी), पहला तल, (बिना छत अधिकार के) (तीन मंजिला ईमारत, फ्री होल्ड प्लॉट नं.7/11ब्लॉक नं.7 सेक्टर-2, टी.एच.ए. राजेन्द्र नगर, साहिबाबाद, गाज़ियाबाद-201005 पर निर्मित (क्षेत्र 840 वर्ग फीट)	**10.09.2014 को रु.25,99,516.69 प्लस उस पर आगे ब्याज, व्यय एवं अन्य प्रभार**	10.08.2019	**निविदा के लिए आसफ अली रोड बैक आफिस में 18.12.2019**	**19.12.2019 को दोपहर के 3:30 बजे**	**रू.25.50 लाख**	**रू.2.55 लाख**

नियम व शर्तें: (1) इच्छुक बोलीदाताओं को एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लि. के पक्ष में दिल्ली में देय डीडी/बैंकर्स चेक के माध्यम से ईएमडी के साथ बंद लिफाफे में अपनी बोलियां **18 दिसम्बर, 2019 को अप. 1:00 बजे** तक भेजनी होगी। नीलामी की तिथि को असफल बोलीदाताओं को यह राशि बिना ब्याज के लौटा दी जाएगी। बिना ईएमडी के प्रस्तावों को निरस्त कर दिया जाएगा। यदि सफल बोलीदाता बिक्री के नियम व शर्तों, समय या प्रतिबद्धता को पूरा करने में असफल रहता है तो उसकी ईएमडी को जब्त कर सम्पत्ति को दोबारा बेचा जाएगा। किसी भी कारण से देरी से प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा। (2) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपलब्ध/उपस्थित बोलीदाताओं की उपस्थिति मे मुहरबंद निविदाएं खोली जाएंगी। (3) निविदाएं खुलने के बाद इच्छुक बोलीदाताओं का ऑफर मूल्य बढ़ाने के लिए पारस्परिक बोली के लिए अवसर देने का अधिकार केवल प्राधिकृत अधिकारी के पास होगा। (4) सफल बोलीदाता को उपरोक्त अनुसार डीडी के रूप में उसी दिन नीलामी के तुरंत बाद बोली राशि का 25 प्रतिशत (ईएमडी समायोजन सहित) जमा करना होगा और शेष राशि बिक्री का भुगतान की पुष्ठि की तिथि से 15 दिनों के भीतर या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित में बढ़ाई गई अवधि के भीतर करना होगा। चूक के मामले में बोलीदाता द्वारा जमा की गई सभी राशि को जब्त करके सम्पत्ति की दोबारा बिक्री की जाएगी। सफल बोलीदाता को बिक्री के सभी नियम व शर्तों को पूरा करने पर नियमों के अनुसार बिक्री प्रमाणपत्र जारी किया जाएग। प्राधिकृत अधिकारी बिक्री के लिए रखी गई सम्पत्ति पर कोई भी प्रभार, अधिभार, सम्पत्ति कर या कोई भी सरकार या निकाय के बकायें के लिए जिम्मेदार नहीं होंगें। **सम्पत्ति की सीमा/विवरण एलआईसी एचएफएल** के पास उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार बिक्री की उद्घोषणा में वर्णित किये गये हैं और प्राधिकृत अधिकारी इसके होने वाली किसी भी विभिन्नता के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। **इच्छुक पार्टियों को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित शाखा के प्रबंधक से पूर्व अनुमति लेकर सम्पत्ति का निरीक्षक कर लें।** (5) सफल बोलीदाता को सभी सांविधिक बकायों/करों/प्रभारों/बदलाव के लिए देय शुल्कों जैसे स्टैम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क आदि को लागू नियमों एवं आयकर नियमों के अनुसार भुगतान करना होगा। (6) प्राधिकृत अधिकारी के पास बिना कोई कारण बताएं किसी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने और नीलामी को स्थगित करने/आगे बढ़ाने/निरस्त करने का अधिकार होगा और वे बिना कोई पूर्व सूचना दिये इस बिक्री के किसी भी नियम व संशोधित करने का भी अधिकार रखते हैं। (7) बिक्री एलआईसी एचएफएल की पुष्ठि के अधीन होगी।

बिक्री के अन्य शर्तों से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए इच्छुक बोलीदाता प्रबंधक बैक आफिसः लक्ष्मी इंश्योरेंस बिल्डिंग, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002 के पास व्यक्तिगत रूप से या फोन नं. 011-23238964, 9891392661 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

दिनांकः 18.11.2019 **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थानः नई दिल्ली **एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लि.**

प्रपत्र सं. आईएनसी-25ए
प्राईवेट कम्पनी का सार्वजनिक कम्पनी में रूपांतरण के लिये समाचार-पत्र में प्रकाशित करने के लिये विज्ञापन
क्षेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष
कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 41 के मामले में
तथा
मै. शार्प क्रेडिट्स लिमिटेड (कम्पनी का नाम) जिसका पंजीकृत कार्यालय ए-72, लोक विहार, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034 में है, के मामले में------ आवेदक

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यह कम्पनी उपरोक्त नियमावली के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अंतर्गत केंद्र सरकार के पास एक आवेदन करने के लिये इच्छुक है तथा ऐसे रूपांतरण को प्रभावी करने के लिये कम्पनी को सक्षम बनाने के लिए 18 नवम्बर, 2019 11 बजे पूर्वा .में आयोजित वार्षिक असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी को एक प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी में रूपांतरित करने के लिए इच्छुक है।

कंपनी की स्थिति में इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे उसके नीचे वर्णित पते पर पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति संबंधित क्षेत्रीय निदेशक (क्षेत्रीय निदेशक का सम्पूर्ण पता दें) के पास जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें।

आवेदक के लिये तथा उसकी ओर से
शार्प क्रेडिट्स लिमिटेड
सुभाष गर्ग (DIN:00303657)
ए-72, लोक विहार, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034

तिथिः 19.11.2019
स्थानः नई दिल्ली

जिस किसी का भी इससे संबंध हो

टाइगर 4 सिक्युरिटी एंड डिटेक्टिव इंडिया प्रा.लि. से टाइगर 4 सिक्युरिटी एंड फैसिलिटीज इंडिया प्रा.लि. में कम्पनी के नाम में परिवर्तन की सूचना

टाइगर 4 सिक्युरिटी एंड डिटेक्टिव इंडिया प्रा.लि. का नाम 01.08.2019 से बदलकर मै. टाइगर 4 सिक्युरिटी एंड डिटैक्टिव इंडिया प्रा.लि. से मै. टाइगर 4 सिक्युरिटी एंड फैसिलिटीज इंडिया प्रा.लि. कर दिया गया है।

कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 29 के अनुपालन में नाम के परिवर्तन के लिये निगमन प्रमाणपत्र, नम्बर (CIN): U93000DL2010PTC199567 कम्पनी रजिस्ट्रार (आरओसी) दिल्ली द्वारा एक अगस्त, 2019 को प्रदान किया गया है।

यह कम्पनी मूल रूप से टाइगर 4 सिक्युरिकॉर एंड डिटेक्टिव प्राईवेट लिमिटेड के नाम से निगमित थी।

एतद्द्वारा आग्रह है कि इसका ध्यान रखें। पुनः प्रमाणित किया जाता है कि कम्पनी के नाम में परिवर्तन के साथ विनिर्दिष्ट निदेशकों अथवा शेयरधारिता पद्धत्ति अथवा प्रबंधन अथवा नियंत्रण अथवा डॉमिनैन्ट प्रवर्त्तक ग्रुप में परिवर्तन संलग्न/जुड़ा नहीं है तथा हमारे द्वारा वांछित शुद्ध सम्पत्ति का प्रबंध किया जाता है।

उसकी निरीक्षण के लिये हमारे सम्मुख प्रस्तुत की गई लेखा पुस्तकों से जाँच तथा सत्यापन की गई है।

सुभाष सिंह एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स
(सुभाष सिंह)
(एफसीए) (एम. नं. 509728)
(एफआरएन-021750N)
UDIN:19509728AAAAFE6467

स्थानः फरीदाबाद
तिथिः 18.11.2019

डीसीबी बैंक लिमिटेड — **डीसीबी बैंक**
शाखाः 7/56, 3रा तल, देश बंधु गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005,
टेली.: (011) 45016060/ 45016055
वेबसाईटः www.dcbbank.com

नीलामी बिक्री सूचना

(प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के अंतर्गत)
प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये नीलामी बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली के नियम 8 (6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत डीसीबी बैंक के पास चार्ज्ड अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री

एतद्द्वारा आम जनता तथा ऋणधारक विशेष रूप से सह-ऋणधारकों तथा गारन्टरों को अधोहस्ताक्षरी द्वारा सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित सम्पत्ति डीसीबी बैंक लि. के पास गिरवी है। बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने सम्पत्ति का भौतिक कब्जा कर लिया है। अधोलिखित बकाये तथा अधोलिखित विवरणों के अनुसार आगे के ब्याज, चार्जेज तथा लागत आदि की वसूली के लिये निविदा-सह-सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से सम्पत्ति की बिक्री की जायेगीः सम्पत्ति की बिक्री ''जैसा है जहां है'' तथा ''जो भी वहां है'' शर्त पर की जाएगी।

ग्राहक का नाम	सम्पत्ति का पता	आरक्षित मूल्य	ईएमडी राशि
करण सिंह	यूनिट नं. 532, 5वां तल, यूनिवर्सल ट्रेड टावर, सेक्टर-49, सोहना रोड, गुड़गाँव, झरसा, हरियाणा-22001	रु. 26000000/- (रुपये दो करोड़ साठ लाख मात्र)	रु. 26,00,000/- (रु. छब्बीस लाख मात्र)
दुश्यंत कुमार	सम्पत्ति सं. 3/210 (एफएफ), गली गंगाराम, छोटा बाजार, शाहदरा, दिल्ली-110032	रु. 9,50,000/- (रुपये नौ लाख पचास हजार मात्र)	रु. 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र)
विनोद कुमार गर्ग	फ्लैट नं. यूजी-11 (यूजीएफ), एसजी इम्प्रेशन प्लस, राज नगर एक्टें., एनएच-58, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	रु. 55,00,000/- (रुपये पचपन लाख मात्र)	रु. 5,50,000/- (रुपये पांच लाख पचास हजार मात्र)
गुरप्रीत सिंह	फ्लैट नं. 875 एवं 876 (एफएफ), हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सेक्टर-21डी, फरीदाबाद, हरियाणा	रु. 27,00,000/- (रुपये सत्ताईस लाख मात्र)	रु. 2,70,000/- (रुपये दो लाख सत्तर हजार मात्र)
राजेन्द्र कुमार शर्मा तथा नील कमल शर्मा	बी-225/5एच, गली नं. 7, अशोक नगर, शाहदरा, दिल्ली-110032	रु. 81,00,000/- (रुपये इक्यासी लाख मात्र)	रु. 8,10,000/- (रुपये आठ लाख दस हजार मात्र)
गुप्ता न्यूज पेपर एंड मैग्जीन डिस्ट्रीब्यूटर्स, प्रवीण कुमार गुप्ता, मीनाक्षी गुप्ता	शॉप नं. 72/ए, भूतल, प्लॉट नं. 72, बालुपुरा कॉलोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201005	रु. 12,80,000/- (रुपये बारह लाख अस्सी हजार मात्र)	रु. 1,28,000/- (रु. एक लाख अटठाईस हजार मात्र)

नीलामी की तिथि	कब्जा का प्रकार	निरीक्षण की तिथि एवं समय
05.12.2019	भौतिक	27.11.2019

अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपरोक्त सम्पत्ति की खरीद के लिये इच्छुक क्रेता/बोलीदाताओं से मुहरबंद लिफाफे में प्रस्ताव आमंत्रित है। इच्छुक क्रेता 04.12.2019 को 4.30 बजे सायं या उससे पूर्व डीसीबी बैंक लि. 7/56, 3रा तल, देश बंधु गुप्ता रोड, नई दिल्ली-110005 में धरोहर राशि के लिये डीसीबी बैंक लि., नई दिल्ली के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट के साथ मुहरबंद लिफाफे में उपरोक्त सम्पत्ति के लिये अपना प्रस्ताव भेज सकते हैं। मुहरबंद प्रस्ताव को नीलामी की तिथि 5.12.2019 को 12.30 बजे अप. में शाखा में खोला जायेगा।

यदि बोली सफल नहीं हो तो बिना ब्याज के ईएमडी वापस लौटा दी जायेगी।

इच्छुक क्रेता अधिकतम उपरोक्त तिथि तक सम्पत्ति/परिसम्पत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं जिसके लिये उन्हें श्री श्यामसुन्दर चंधोक अथवा श्री मयंक दत्त चौधरी (011)-45016060/55) से सम्पर्क करना होगा।

नीलामी के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया https://www.dcbbank.com/cms/showpage/page/customer-corner में दी गई लिंक देखें।

हस्ता./-
तिथिः 19.11.2019 प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः नई दिल्ली डीसीबी बैंक लिमिटेड

बैंक ऑफ़ बड़ौदा (भारत सरकार का उपक्रम) — **कॉर्पोरेट बैंकिंग शाखा**
मेकर चैम्बर्स IV, (पिछला हिस्सा) 222, नरीमन प्वाइंट, मुम्बई, महाराष्ट्र-400021 दूरभाष : 022-22814898 ई-मेल : vjbnar@bankofbaroda.co.in

कब्जा सूचना
(अचल सम्पत्ति हेतु) [नियम 8(1) देखें]

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम सं. 54) की वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित नियम 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में बैंक ऑफ बड़ौदा, पलवल शाखा, हरियाणा का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते मैसर्स रोल्टा प्रा.लि., पंजीकृत कार्यालय 21वीं मंजिल, मेकर टॉवर एफ, कफ परेड, मुम्बई-400005 तथा मैसर्स रोल्टा इण्डिया लिमिटेड [जमानती तथा बंधककर्ता] से सूचना में उल्लिखित बकाया रु. 257,17,14,084.20 (रुपये दो सौ सत्तावन करोड़ सत्रह लाख चौदह हजार चौरासी एवं बीस पैसे मात्र) का कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहते हुए 03.06.2019 को एक माँग सूचना निर्गत की थी और इसकी विषय-सामग्री 20.07.2019 को फाइनेंशियल एक्सप्रेस तथा 21.07.2019 को मुम्बई लक्षद्वीप के समाचार-पत्रों में प्रकाशित की गयी थी।

कर्जदार/जमानती/बंधककर्ता द्वारा राशि का भुगतान करने में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदार तथा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित कथित नियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति पर 16 नवम्बर, 2019 को कब्जा कर लिया है।

एतद्वारा विशेष रूप से कर्जदार/जमानती/बंधककर्ता को तथा जनसामान्य को कथित सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार रु. 2,76,71,03,979.20 (रुपये दो सौ छिहत्तर करोड़ इकहत्तर लाख तीन हजार नौ सौ उन्यासी एवं बीस पैसे मात्र) एवं इस पर ब्याज के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के अभियोग का विषय होगा।

प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के सन्दर्भ में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

बेसमेंट, भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल एवं तृतीय तल से निर्मित भवन सहित ए-55, कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली-110 048 पर स्थित भूमि से निर्मित सम्पत्ति का सम्पूर्ण भाग। प्लॉट का क्षेत्रफल 9240 वर्ग फीट (1027 वर्ग गज)। बेसमेंट, भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल एवं तृतीय तल का कुल प्लिंथ एरिया 18,703 वर्ग फीट है। सीमाएँ : उत्तर : सड़क, दक्षिण : सड़क, पूर्व : प्लॉट सं. ए-54, पश्चिम : प्लॉट सं. ए-56.

दिनांक : 16.11.2019 सहायक महाप्रबन्धक, अधिकृत प्राधिकारी
स्थान : नई दिल्ली बैंक ऑफ बड़ौदा

प्रपत्र 5
**ऋण वसूली अधिकर

प्रपत्र सं. आइएनसी–26
[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]

कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में अंतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन

केन्द्रीय सरकार / प्रादेशिक निदेशक
के समक्ष उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (अ) के मामले में
और
डेलनर ब्रेक्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : यूनिट नं. 340, टॉवर ए, प्लॉट नं. 4ए लोगिक्स टेक्नोवा, सेक्टर–132, एक्सप्रेसवे, गौतम बुद्ध, नोएडा–201303, उत्तर प्रदेश में स्थित है

.....आवेदक कंपनी

आम जनता को यह नोटिस दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय उत्तर प्रदेश राज्य से तमिलनाडु राज्य में स्थानांतरित करने के लिए तारीख 15, अक्टूबर 2019 को आयोजित 01 वार्षिक आम बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संधम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।

कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्रपत्र फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी–2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपर्द कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके उपरोक्त रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा।

यूनिट नं. 340, टॉवर ए, प्लॉट नं. 4ए लोगिक्स टेक्नोवा, सेक्टर–132, एक्सप्रेसवे, गौतम बुद्ध, नोएडा–201303, उत्तर प्रदेश

कृते की और से
डेलनर ब्रेक्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता./–
विकास कुमार झा
निदेशक
डीआईएन : 07852554

तिथि : 19 नवम्बर, 2019
स्थान : नोएडा

प्रपत्र सं. यूआरसी–2

शीर्षक XXI के भाग 1 के अंतर्गत पंजीकरण के विषय में सूचना देने के लिए विज्ञापन [कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 374 (बी) तथा कम्पनीज (पंजीकरण के लिए प्राधिकृत) नियमावली, 2014 के नियम 4 (1) के अनुपालन में]

1. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 366 की उप–धारा (2) के अनुपालन चंडीगढ़ में रजिस्ट्रार के पास इस आशय का एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि एलोरा हॉस्पिटैलिटी एलएलपी, एक सीमित दायित्व की पार्टनरशिप को शेयर्स द्वारा एलोरा हॉस्पिटैलिटी प्राईवेट लिमिटेड, एक कम्पनी लिमिटेड के रूप में कम्पनी अधिनियम, 2013 के शीर्षक XXI के भाग 1 के अंतर्गत पंजीकृत की जाये।
2. कम्पनी के प्रमुख उद्देश्य हैं:
सभी प्रकार के खाद्य, उत्पादों डेयरी उत्पादों, वैकरी एवं कॉन्फैक्शनरी उत्पादों, सॉफ्ट ड्रिंक्स, एरेटेड वाटर्स, वेबरेजेज, दोनों प्राकृतिक एवं कृत्रिम, फ्रेश एवं कैन्ड वेजीटैबल्स एवं मीट्स, फ्रेश एवं कैन्ड फ्रुट्स के निर्माण, क्रय, ब्रिकी, उत्पादन, प्रसंक्करण, आयात, निर्यात, वितरण, ट्रेडिंग, अपूर्ति संचालन, प्रबंध तथा व्यवसाय करने एवं स्वामी, सह–स्वामी, संयुक्त उपक्रमों, प्रचालकों, फ्रैन्चाईजीज, फ्रैन्चाईजर्स तथा भारत अथवा विदेश में व्यवसाय के किसी अन्य मॉडल में सभी प्रकार के वेजीटैबल्स, फलों, मीट, फिश, मशाले एवं कॉन्डिमेन्ट्स का उत्पादन, उगाने, प्रॉड्यूस, विकसित, प्रसंस्कृत (कैनिंग, कोल्ड स्टोरेज, डीप फ्रीजिंग, डि–हाइड्रेशन, बैकिंग, डाइंग, बोटलिंग एवं पैकिंग सहित) करने सहित होटलों, मोटेल्स, वैक्वेट्स, वेण्डर्स, पब्स एवं क्लब्स, रेस्टॉरेन्ट्स, रिक्रिएशन तथा एन्टरटेन्मेन्ट की केन्द्रों आदि के लिये हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की ऑन लाइन तथा ऑफ लाइन सेवाओं की प्रावधान करना।
3. प्रस्तावित कम्पनी के ड्राफ्ट मेमोरैण्डम तथा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की प्रति एससीओ 52, सेक्टर 45ए, चंडीगढ़– 160047 में कार्यालय में देखी जा सकती है।
4. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस आवेदन के प्रति कोई आपत्ति हो, वे उसके पंजीकृत कार्यालय में एलएलपी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से इक्कीस दिनों के भीतर लिखित में अपनी आपत्ति कॉर्पोरेट भवन, 1 ला तल, प्लॉट नं. 4बी, मध्य मार्ग, सेक्टर 27 बी, चंडीगढ़– 160019 में रजिस्ट्रार के पास जमा करें

एलोरा हॉस्पिटैलिटी एलएलपी के लिये
हस्ता.
गगनदीप सिंह
पदनामित पार्टनर

तिथि: 19.11.2019

SBI
एंटरप्राइज व टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर (E&TA) विभाग,
स्टेट बैंक ग्लोबल आईटी सेन्टर, सेक्टर 11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई – 400 614.

शुद्धिपत्र-II

कृपया, डेवसेकॉप्स ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म की प्राप्ति के लिए अनुरोध हेतु आरएफपी सं. SBI/GITC/एंटरप्राइज व टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर/2019/2020/654 दिनांक 16/10/2019 का संदर्भ लें. **शुद्धिपत्र-II** बैंक की वेबसाइट **https:// bank.sbi** पर **'प्रोक्योरमेन्ट न्यूज'** के अंतर्गत उपलब्ध है.

स्थान: नवी मुंबई
दिनांक: 19.11.2019
हस्ता/–
प्रमुख (E & TA)

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम, रेल मंत्रालय) क्षेत्रीय कार्यालय
मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम)/उत्तर मध्य क्षेत्र (एनसीआर), छठी मंजिल, आईडब्ल्यूएआई बिल्डिंग, ए–13, सेक्टर–1, नोएडा, (उ.प्र.) 201301, फोन: 0120–4052941 फैक्स: 0120–4052988

ई–निविदा सूचना

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड, उत्तर मध्य क्षेत्र क्षेत्रीय कार्यालय, छठा तल, आईडब्ल्यूएआई बिल्डिंग, ए–13, सेक्टर–1, नोएडा–201301 **संदर्भ: खुली ई–निविदा संख्या: कॉन/एनसीआर/टेक/टैंक कंटेनर रिपेयरिंग/2019, दिनांक 19.11.2019 आईसीडी/दादरी में टैंक कंटेनरों की मरम्मत हेतु द्वि बोली प्रणाली में खुली ई–निविदा आमंत्रित की जाती है।**

वेबसाइट www.tenderwizard.com/CCIL पर निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 09.12.2019 को 16:00 बजे तक है। विस्तृत जानकारी और किसी भी शुद्धिपत्र के लिए कृपया www.tenderwizard.com/CCIL पर लॉग ऑन करें।

मुख्य महाप्रबंधक/उत्तर मध्य क्षेत्र

प्रपत्र 5
ऋण वसूली अधिकरण, लखनऊ
601/1, विश्वद्यालय रोड, निकट हनुमान सेतु मन्दिर, लखनऊ–236007

ओए सं. 360/2019 दिनांक : 19.09.2019

ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया नियम, 1993) के नियम 12 एवं 13 के साथ पठित वित्तीय संस्थान की बकाया ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19(3) के तहत प्रतिवादी को सूचना

मूल आवेदन सं. तथा 2016 का ओ.ए. सं. 360
बैंक ऑफ महाराष्ट्र बनाम मैसर्स वीरेन्द्र कौशिक एवं अन्य
आवेदक प्रत्यर्थी

सेवा में,
1. श्री वीरेन्द्र कौशिक पुत्र श्री तारा चन्द शर्मा निवासी फ्लैट सं. ए–1002, एपेक्स ग्रीन वैली, सेक्टर–9, वैशाली, गाजियाबाद, उ.प्र. कर्जदार
2. श्रीमती संगीता शर्मा पत्नी श्री वीरेन्द्र कौशिक निवासी फ्लैट सं. ए–1002, एपेक्स ग्रीन वैली, सेक्टर–9, वैशाली, गाजियाबाद, उ.प्र.
साथ ही : जी.एल. मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा.लि., प्लॉट सं. 21, प्रथम तल, एचडीएफसी बैंक के ऊपर, कौशाम्बी शाखा, गाजियाबाद, उ.प्र. सह–कर्जदार
3. मैसर्स एसोटेक विंडसर कोर्ट, सी–28, द्वितीय तल, सेक्टर–62, नोएडा–201307 प्रतिवादी

उपर्युक्त आवेदन में आपको व्यक्तिगत रूप से या अधिकृत एजेन्ट अथवा वैध प्रैक्टिसनर के माध्यम से दस्तावेजों तथा शपथपत्रों (यदि कोई हो) सहित दो सेटों में पेपर बुक में इस अधिकरण के पास प्रत्युत्तर जमा करने अपेक्षित हैं जिसकी एक प्रति सूचनाओं के आवेदन के पश्चात आवेदक या उसके अधिवक्ता/अधिकृत एजेंट के पास भेजनी है इसके पश्चात 10.12.2010 को 10.30 बजे प्रातः अधिकरण के समक्ष उपस्थित होना जिसमें असफल रहने पर आवेदन पर सुनवाई होगी और आपकी अनुपस्थिति में फैसला सुनाया जायेगा।

रजिस्ट्रार
ऋण वसूली अधिकरण, लखनऊ

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का एक नवरत्न उपक्रम)
(सीआईएन : L63011DL1988GOI030915)
पंजीकृत कार्यालय : कॉनकॉर भवन, सी-3, मथुरा रोड, अपोलो अस्पताल के सामने, नई दिल्ली-110076; फोन : 91-11-41673093-96, फैक्स : 91-11-41673112
वेबसाइट : www.concorindia.com

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

कॉनकॉर द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु टेंडरिंग के दो लिफाफा प्रणाली में ई-निविदा आमंत्रित हैं :–

निविदा सं.	कॉन/ईपी/एमएमएलपी/बरही/फेज़-II/2019
कार्य का नाम	एमएमएलपी-बरही, सोनीपत, हरियाणा में एमएमएलपी-बरही फेज़-II के विकास हेतु 03 बेयरहाउस, सीसी पेवमेंट तथा अन्य सम्बद्ध कार्यों का निर्माण।
अनुमानित लागत	रु.2781.26 लाख
पूर्णता अवधि	18 माह
धरोहर जमा राशि	रु. 15,40,630/- (ई-भुगतान के माध्यम से)
निविदा दस्तावेज की कीमत (अप्रतिदेय)	रु. 1000/- (सभी करों व प्रभारों सहित ई-भुगतान के माध्यम से)
निविदा प्रक्रिया शुल्क (अप्रतिदेय)	रु. 5,310/- (सभी करों व प्रभारों सहित ई-भुगतान के माध्यम से)
निविदा बिक्री की तिथि (ऑनलाइन)	19.11.2019 (11:00 बजे) से 09.12.2019(17:00 बजे तक)
निविदा जमा करने की तिथि एवं समय	10.12.2019 को 17:00 बजे तक
निविदा खुलने की तिथि एवं समय	13.12.2019 को 11:30 बजे

वित्तीय पात्रता मापदण्ड, समान प्रकृति के कार्य के सम्बन्ध में अनुभव, आदि हेतु कृपया वेबसाइट **www.concorindia.com** पर उपलब्ध विस्तृत निविदा सूचना देखें, परन्तु पूर्ण निविदा दस्तावेज केवल वेबसाइट **www.tenderwizard.com/CCIL** से डाउनलोड किया जा सकता है। इस निविदा के सम्बन्ध में शुद्धिपत्र/परिशिष्ट, यदि कोई होगा तो, केवल वेबसाइट **www.concorindia.com, www.tenderwizard.com/CCIL** तथा सेन्ट्रल प्रोक्योरमेंट पोर्टल (सीपीपी) पर प्रकाशित किया जाएगा। इसके लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा।

समूह महाप्रबन्धक (ईसी) फोन नं. : 011-41673093-96

बैंक ऑफ इंडिया
Bank of India
Relationships beyond banking

वजीराबाद रोड शाखा
गरिमा गार्डन, वजीराबाद रोड, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उ.प्र.–201005 फोन: 0120–2898703
ई–मेल: wazirabadroad.ghaziabad@bankofindia.co.in

संदर्भ: बीओआई:डब्ल्यूआर:एडीबी:2019–20:7511–107 तिथि: 01.11.2019

सेवा में, श्री मनोज कुमार, पुत्र श्री मोहर सिंह, प्लॉट नं. 99, ब्लॉक–बी, मैन शालीमार गार्डन, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उ.प्र.

संदर्भ: वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

1. आपके अनुरोध पर बैंक ने आपको रु. 21.00 लाख की कुल राशि के लिए आपको विभिन्न साख सुविधाएं स्वीकृत की हैं। हम यहां नीचे हमारे द्वारा स्वीकृत साख सुविधाओं तथा सूचना की तिथि को उसके अंतर्गत बकाया देय राशि का विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं:

साख का प्रकृति	स्वीकृत सीमा	बकाया देयता
सावधि ऋण	रु. 21,00,000.00	को रु. 2147826.36+ 28.10.2019 से ब्याज

2. बैंक द्वारा स्वीकृत उपरोक्त साख सुविधाएं निम्नलिखित परिसम्पत्तियों/प्रतिभूतियों द्वारा प्रतिभूत हैं। (बैंक के पास चार्ज्ड सम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों का विवरण): श्री मनोज कुमार, पुत्र श्री मोहर सिंह के नाम में प्लॉट नं. 99, ब्लॉक–बी, मैन शालीमार गार्डन, गाजियाबाद, उ.प्र. में स्थित सम्पत्ति का ईक्यूएम।
3. चूंकि, आपने बैंक के प्रति अपनी देयताओं को वापस लौटाने में चूक की है, हमने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों/दिशानिर्देशों के अनुसार 31.10.2019 को आपकी खाता को गैर–प्रचालन परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया है।
4. उपरोक्त कारणों से हम एतद्द्वारा उपरोक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत आपको सूचना दे रहे हैं तथा निर्देश देते हैं कि इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान की तिथि तक बैंक द्वारा वहन की गई सभी लागतों, चार्जेज एवं खर्चे के साथ मिश्रित दर पर इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर 28.10.2019 से उस पर 8.90% प्रति वर्ष की दर से ब्याज, बैंक द्वारा वहन की गई खर्चे के साथ रु. 21,47,826.36 की बैंक की राशि का बैंक को भुगतान कर अपनी देयताओं को निष्पादित करें जिसमें विफल होने पर कृपया ध्यान रहे कि हम उपरोक्त प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के विरुद्ध सम्पूर्ण रूप से आपकी जोखिम, लागत तथा परिणामों पर वित्तीय परिसम्पत्तिों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 के अंतर्गत बैंक में निहित शक्तियों का प्रयोग करेंगे।
5. जहां हम उपरोक्त अवधि के भीतर बैंक द्वारा वहन की गई लागू ब्याज, सभी लागतों, चार्जेज तथा खर्चे के साथ बैंक के संपूर्ण बकाए का भुगतान कर उपरोक्त रूप में अपनी देयताओं को निष्पादित करने तथा प्रतिभूत परिसंपत्तियों को विमोचित करने का आपको निर्देश देते हैं, कृपया महत्वपूर्ण टिप्पणी पर ध्यान दें कि सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (8) के अनुसार प्रतिभूत परिसंपत्तियों के पट्टे, एसाइन्मेन्ट अथवा बिक्री द्वारा अंतरण के लिए सार्वजनिक नीलामी अथवा कोटन या जनता से निविदा आमंत्रण अथवा निजी संधि के लिए सूचना के प्रकाशन की तिथि तक ही आपको प्रतिभूत परिसंपत्तियों के विमोचन का अधिकार प्राप्त होगा।
6. उपरोक्त शक्तियों के प्रयोग से वसूल की जाने वाली राशि सर्वप्रथम हमारे द्वारा वहन की गई सभी लागतों, प्रभारों तथा खर्चे एवं/अथवा उससे संबंधित अन्य किसी खर्चे के लिए भुगतान में प्रयुक्त की जाएगी तथा द्वितीयतः सूचना की तिथि से उसकी वास्तविक वसूली की तिथि तक अनुबंधित ब्याज के साथ बैंक के उपरोक्त बकाए के निष्पादन में प्रयुक्त की जाएगी तथा शेष राशि यदि कोई हो, बैंक की सम्पूर्ण बकाया की वसूली के बाद आपको प्रदान की जाएगी।
7. यदि प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के प्रति उपरोक्त शक्ति के प्रयोग के दौरान वसूल की जाने वाली राशि से सम्पूर्ण बकाए की वसूली नहीं होती है तो सभी लागतों आदि जो आप पर बकाया हो, के साथ शेष राशि की वसूली के लिए हम ऋण वसूली अधिकरण/न्यायालय के समक्ष आपके विरुद्ध मामला लेकर जाएंगे।
8. कृपया ध्यान रहे कि उपरोक्त अधिनियम की उप–धारा (13) के अनुसार इस सूचना की प्राप्ति के बाद आप इस सूचना में संदर्भित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का बिक्री, पट्टा या अन्य किसी रूप में अंतरण के अधिकार से वंचित होंगे। बिक्री, पट्टा, उपहार, एसाइन्मेन्ट अथवा रूप से आपके द्वारा किसी भी प्रकार का अंतरण एक दंडनीय अपराध होगा।
9. इस सूचना को जारी करने तथा उपरोक्त धारा 13 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधोहस्ताक्षरी इस बैंक के विधिवत प्राधिकृत अधिकारी हैं।
10. यह उल्लेख आवश्यक नहीं है कि आपको संबोधित यह सूचना बैंक को उपलब्ध किसी अन्य उपचार के प्रति पूर्वाग्रह रहित है।

सीसी: (सूचना की प्रति ऐसे गारन्टरों को अग्रसारित की जाये जिन्होंने बकाये को प्रतिभूत करने के लिये अपनी परिसम्पत्तियों/सम्पत्ति पर प्रतिभूति हित निर्मित नहीं किया है)

सेवा में, श्री मोहद. उमर, पुत्र श्री खुर्शीद 400, झुग्गी नं. ई–6, सनलाइट कॉलोनी, पुराना सीमापुरी, नई दिल्ली–110095

महोदय/महोदया,

1. आप जानते हैं कि बैंक ने श्री मनोज कुमार, पुत्र श्री मोहर सिंह (प्रधान ऋणधारक) को रु. 21.00 लाख की कुल राशि के लिये विभिन्न साख सुविधाएं स्वीकृत की हैं जिसके लिये आप गारन्टर बने हैं तथा मूल ऋणधारक द्वारा उक्त राशि तथा सभी ब्याज, लागत, चार्जेज तथा बकाया एवं उस पर उपचयित होने वाले खर्चे के उपयुक्त पुनर्अदायगी की गारन्टी देने के लिये आप गारन्टर बने हैं तथा आपने गारन्टी पत्र तिथि 25.01.2019 निष्पादित किया है। बैंक द्वारा स्वीकृत विभिन्न साख सुवधिएं तथा उसके अंतर्गत सूचना की तिथि को बकाया देयताओं का विवरण इस प्रकार है:

साख की प्रकृति	स्वीकृत सीमा	बकाया देयताऐं (क)
सावधि ऋण	रु. 21,00,000.00	रु. 21,47,826.36+28.10.2019 से ब्याज

2. चूंकि, प्रधान ऋणधारक ने अपनी देयताओं के पुनर्भुगतान में चूक की है हमने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों अथवा दिशा निर्देशों के अनुसार उनकी देयताओं को 31.10.2019 को गैर–प्रचालन परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया है।
3. जैसा कि यहां ऊपर वर्णित है, प्रधान ऋणधारक द्वारा की गई चूक को देखते हुए गारन्टर के रूप में आप संयुक्त तथा पृथक रूप से उक्त ऋणों का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी हैं।
4. उपरोक्त कारणों से हम आपकी गारन्टी रद्द करते हैं तथा एतद्द्वारा आपको निर्देश देते हैं कि इस सूचना की प्राप्ति के दिनों से मासिक रेस्ट्स के साथ मिश्रित 8.90% प्रति वर्ष की दर पर उस पर 28.11.2019 से आगे के ब्याज के साथ रु. 2147826.36 की राशि का बैंक को भुगतान कर अपनी देयताओं को निष्पादित करें अन्य व हम सभी लागतों, उसके अनुषांगिक खर्चे आदि के साथ वास्तविक वसूली की तिथि तक लागू योग्य ब्याज के साथ उक्त राशि की वसूली के लिये ऋण वसूली अधिकरण न्यायालय के समक्ष आपके विरूद्ध उपयुक्त कानूनी कार्रवाई सहित आपके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिये बाध्य होंगे।

आपका भवदीय
स्थान : गाजियाबाद नाम: कमल ठाकुर सिंह
तिथि: 01.11.2019 पदनाम: मुख्य प्रबंधक प्राधिकृत अधिकारी

इण्डियन ओवरसीज बैंक
INDIAN OVERSEAS BANK

एनएचपीसी कॉम्पलक्स, प्रथम एवं द्वितीय तल, प्रथम बिल्डिंग (निकट मेन गेट), सेक्टर–33 (आईओबी एनएचपीसी शाखा–1501, फरीदाबाद के ऊपर) जिला फरीदाबाद, पिन कोड–121003 हरियाणा राज्य

चल/अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु विक्रय सूचना
[प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों के नियम 6(2)/8(6) के प्रावधानों के तहत]

मेगा ई–नीलामी

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6(2)/8(6) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत चल/अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी विक्रय सूचना

शाखा का नाम तथा सम्पर्क व्यक्ति का विवरण	खाते का नाम खाता सं. आईएफएस कोड	एनपीए की तिथि	माँग सूचना की तिथि तथा माँग सूचना में दावाकृत बकाये	सांकेतिक कब्जा करने की तिथि तथा कब्जा सूचना में दावाकृत बकाये	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य / ज.ध.रा. / संविदा बढ़ोत्तरी राशि
निठारी श्री राजीव चौधरी शाखा प्रबन्धक सम्पर्क नं. 9830341940	महावीर नागर, पुष्पा नागर खाता सं. : 05970113301010 आईएफएससी : IOBA0000597	30.04.2019	25.07.2019 रु. 3,22,049.18 एवं अनुबन्ध दरों पर भावी ब्याज तथा भुगतान की तिथि तक बकाये, प्रभार आदि	08.11.2019 रु. 3,35,688.18 एवं अनुबन्ध दरों पर भावी ब्याज तथा भुगतान की तिथि तक बकाये, प्रभार आदि	आवासीय लीज होल्ड सम्पत्ति संख्या 182, ब्लॉक बी, सेक्टर 50, नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, नोएडा उत्तर प्रदेश–201301, श्री महावीर नागर तथा श्रीमती पुष्पा नागर के नाम से।	रु. 153.02 लाख (1% ब्याज सहित) / रु. 15.30 लाख
निठारी श्री राजीव चौधरी शाखा प्रबन्धक सम्पर्क नं. 9830341940	मैसर्स पवन दूत सिक्योरिटी सर्विसेज खाता सं. : 05970113301010 आईएफएससी : IOBA0000597	29.06.2019	25.07.2019 रु. 5,17,569.83 एवं अनुबन्ध दरों पर भावी ब्याज तथा भुगतान की तिथि तक बकाये, प्रभार आदि	08.11.2019 रु. 5,44,593.83 एवं अनुबन्ध दरों पर भावी ब्याज तथा भुगतान की तिथि तक बकाये, प्रभार आदि		10000
रोहतक गोहाना श्री हेमन्त कुमार शाखा प्रबन्धक सम्पर्क नं. 9897717119	मैसर्स गुप्ता ड्रम सप्लाई कं. खाता सं. : 32930113301010 आईएफएससी : IOBA0003293	31.03.2019	05.01.2019 रु. 38,02,862.04 एवं अनुबन्ध दरों पर भावी ब्याज तथा भुगतान की तिथि तक बकाये, प्रभार आदि	08.08.2019 रु. 39,87,181.04 एवं अनुबन्ध दरों पर भावी ब्याज तथा भुगतान की तिथि तक बकाये, प्रभार आदि	वार्ड सं. 18, रोहतक तहसील, जिला रोहतक, हरियाणा–124001 में नई अनाज मण्डी में स्थित दुकान नं. 1183–ए/4 एवं यूनिट आईडी सं. 89–सी–104–यू–738–ए पर तिमंजिला वाणिज्यिक दुकान एवं आवास (किन्तु स्वामी के पास छत के अधिकार बिना भूतल एवं प्रथम तल है)	रु. 53,23,900 (1% ब्याज सहित) / रु. 5,32,390 / रु. 10000
भिवानी श्री मनोज वर्मा शाखा प्रबन्धक सम्पर्क नं. 8284810441	मैसस माँ जगदम्बा एण्ड कं. खाता सं. : 03250113301010 आईएफएससी : IOBA0000325	31.03.2018	04.04.2018 रु. 15,55,571.10 एवं अनुबन्ध दरों पर भावी ब्याज तथा भुगतान की तिथि तक बकाये, प्रभार आदि	14.05.2019 रु. 15,55,571.10 एवं अनुबन्ध दरों पर भावी ब्याज तथा भुगतान की तिथि तक बकाये, प्रभार आदि	वार्ड सं. 18, मौजा भिवानी जोनपाल–II, तह. एवं जिला भिवानी में मेन हनुमान धानी चौक–मुक्तिधाम–पीपली वाली जोहरी (मुक्ति धाम) सड़क मेन सर्कुलर रोड से लगभग 600 फीट की दूरी पर, सेठ बनारसी दास खयालिका धर्मशाला वाका जिसे मेन मुक्तिधाम रोड कहा जाता है, पर स्थित दो मंजिला आवासीय मकान नं. 1216/10 एवं एम.सी. यूनिट सं. निल, अलग से चहारदीवारी, विमा तथा उन्मुखता। श्रीमती चमेली देवी पत्नी श्री दया कृष्ण के नाम पर।	रु. 27,30,300 / रु. 2,73,030 / रु. 10000

स्थानीय स्वशासन के बकाये (सम्पत्ति कर, जल कर आदि)/ज्ञात ऋणभार यदि कोई हो : अज्ञात/निल

ज.ध.रा. एवं दस्तावेजों को जमा करने की अन्तिम तिथि तथा समय 19.12.2019 को 5 बजे अपराह्न तक है।

निरीक्षण की तिथि तथा समय : 19.12.2019 तक, नीलामी की तिथि तथा समय : 20.12.2019, 10 बजे प्रातः से 5 बजे सायं

जहाँ भी प्रयोज्य हो, आईटी अधिनियम की धारा 194(आईए) के तहत आरक्षित मूल्य 1% कर शामिल नहीं।

नियम एवं शर्तों के लिए कृपया इण्डियन ओवरसीज बैंक की वेबसाइट अर्थात www.iob.in [https://www.iob.in/TenderDetails.aspx?Tendertype-E_Auction] तथा https://auctions.magicbricks.com देखें।

इस सूचना को कथित ऋण के कर्जदारों तथा जमानतियों/बंधककर्ताओं हेतु उपर्युक्त तिथि पर ई–नीलामी धारित करने के विषय में प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6)/नियम 9(1) के तहत सूचना के रूप में भी लिया जाये।

तिथि : 19.11.2019 स्थान : फरीदाबाद अधिकृत प्राधिकारी, इण्डियन ओवरसीज बैंक

अलवर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. अलवर
ALWAR ZILA DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LTD. ALWAR (RAJ.)
ISO 9001:2008 & HACCP CERTIFIED ORGANIZATION

क्रमांक - अ.डे. / विपणन / टी.पी.टी / 2019-20 / 60235-40 दि. 14.11.2019

ई–निविदा सूचना

अलवर से दिल्ली कैन्ट रेफ्रिजेरेटेड वाहन से व दिल्ली कैन्ट से आर्मी के विभिन्न स्थानों पर अतिरिक्त इन्सुलेटेड वाहनों से दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद परिवहन व वितरण कार्य हेतु इच्छुक पार्टियों से निविदा/ ई–निविदा http://eproc.rajasthan.gov.in,वेबसाईट पर आमंत्रित की जाती हैं। निविदा की विस्तृत शर्ते / अमानत राशि / महत्वपूर्ण दिनांक इत्यादी संघ की वेबसाईट www.sppp.rajasthan.gov.in (UBN -CDF1920SLRC00962) पर दिनांक 19.11.2019 से देखी जा सकती हैं।

प्रबन्ध संचालक

राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण, नई दिल्ली पीठ, नई दिल्ली के समक्ष
(मूल न्यायालय)
कम्पनी याचिका सं. सीपी (सीएए) 139 (एनडी) वर्ष 2019
के साथ संबंधित
कम्पनी आवेदन सं. सीए (सीएए) 131 (एनडी) वर्ष 2019
कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18), कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 एवं 232 के विषय में
तथा
ऑरेंज एसोशिएट्स प्राइवेट लिमिटेड, राय–सन एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, ईजी एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, ऑरेंज असेसमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड तथा जस्ट दाखिला प्राइवेट लिमिटेड का ऑरेंज एजूकेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ समामेलन की स्कीम के विषय में
तथा निम्नलिखित के विषय में

ऑरेंज एसोशिएट्स प्राइवेट लिमिटेड
(कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित कम्पनी जिसका पंजीकृत कार्यालय 9, दरियागंज, निकट एमटीएनएल कार्यालय, नई दिल्ली – 110002 में स्थित है) याचिकाकर्ता सं. 1/अंतरणकर्ता कम्पनी सं. 1

राय–सन एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
(कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित कम्पनी जिसका पंजीकृत कार्यालय 9, दरियागंज, निकट टेलीफोन एक्सचेंज, नई दिल्ली– 110002 में स्थित है) याचिकाकर्ता सं. 2/अंतरणकर्ता कम्पनी सं. 2

ईजी एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
(कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत निगमित कम्पनी जिसका पंजीकृत कार्यालय 4594/ए9, एसएफ, अंसारी रोड, दरिया गंज, नई दिल्ली– 110002 में स्थित है) याचिकाकर्ता सं. 3/अंतरणकर्ता कम्पनी सं. 3

ऑरेंज असेसमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
(कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत निगमित कम्पनी जिसका पंजीकृत कार्यालय 4594/ए9, एसएफ, अंसारी रोड, निकट दरिया गंज, नई दिल्ली–110002 में स्थित है) याचिकाकर्ता सं. 4/अंतरणकर्ता कम्पनी सं. 4

जस्ट दाखिला प्राइवेट लिमिटेड
(कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत निगमित कम्पनी जिसका पंजीकृत कार्यालय 7/9, महावीर स्ट्रीट, दरिया गंज, नई दिल्ली–110002 में स्थित है)
याचिकाकर्ता सं. 5/अंतरणकर्ता कम्पनी सं. 5
तथा

ऑरेंज एजूकेशन प्राइवेट लिमिटेड
(कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित कम्पनी जिसका पंजीकृत कार्यालय 9, दरियागंज, निकट एमटीएनएल कार्यालय, नई दिल्ली– 110002 में स्थित है) याचिकाकर्ता सं. 6/अंतरिती कम्पनी

याचिका की सुनवाई की सूचना

उपरोक्त नामक याचिकाकर्ताओं द्वारा ऑरेंज एसोशिएट्स प्राइवेट लिमिटेड, राय–सन एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, ईजी एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, ऑरेंज असेसमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड तथा जस्ट दाखिला प्राइवेट लिमिटेड का ऑरेंज एजूकेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ समामेलन की स्कीम की मंजूरी के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 एवं 232 के तहत एक याचिका दिनांक 17–10–2019 को माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण, नई दिल्ली पीठ, नई दिल्ली के समक्ष

सूचकांक 72 अंक टूटा

मुंबई , 18 नवंबर (भाषा)

आर्थिक नरमी को लेकर बढ़ती चिंता के बीच निजी बैंक , आईटी और ऊर्जा कंपनियों के शेयरों में गिरावट से सूचकांक में सोमवार को 72 अंक की गिरावट दर्ज की गई। सूचकांक सुबह में बढ़त के साथ खुला और आइटी, बैंकिंग और पेट्रोलियम और गैस कंपनियों की शेयरों में गिरावट से दोपहर बाद के कारोबार में इसमें गिरावट देखी गई।

बीएसई का 30 शेयरों वाला सूचकांक 72.50 अंक यानी 0.18 फीसद गिरकर 40,284.19 अंक पर बंद हुआ। इसी प्रकार , नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी भी 10.95 अंक यानी 0.09 फीसद घटकर 11,884.50 अंक पर बंद हुआ। सूचकांक की कंपनियों में येस बैंक में सबसे ज्यादा 4.08 फीसद तक की गिरावट रही। इसके अलावा, बजाज ऑटो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हीरो मोटोकॉर्प, एचडीएफसी बैंक, ओएनजीसी और टीसीएस के शेयर 2.05 फीसद तक गिर गए।

इसके विपरीत, भारती एअरटेल, टाटा स्टील, सन फार्मा, पावरग्रिड, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, वेदांता और टाटा मोटर्स के शेयर 4.60 फीसद तक चढ़े। कारोबारियों ने कहा कि वैश्विक बाजारों से सकारात्मक रुख के बावजूद आर्थिक वृद्धि में और गिरावट की आशंकाओं से घरेलू शेयर बाजार में धारणा कमजोर रही। कई रपटों में देश की आर्थिक वृद्धि दर में और सुस्ती आने की आशंका जताई गई है।

जियोजित फाइनेंशियल र्सिवसेज के अनुसंधान प्रमुख विनोद नायर ने कहा– ऐसा लगता है कि कंपनियों के दूसरी तिमाही नतीजों आने के बाद और इस हफ्ते प्रमुख आंकड़े जारी नहीं होने से बाजार उतार – चढ़ाव भरे दौर में जाता दिख रहा है। वैश्विक स्तर पर , निवेशक अमेरिका – चीन व्यापार तनाव के समाधान की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा , ब्याज दरों को लेकर अमेरिका के केंद्रीय बैंक के भविष्य के रुख पर भी नजर रखी जा रही है।

Corrigendum to the Form G published on 16th November, 2019 of Hythro Power Corporation Limited (under CIRP)

The domain name mentioned at Sl. No. 8, 15 and 22 in the advertisement for calling Invitation of Expression of Interest in Form G for submission of Resolution Plans from interested and eligible prospective Resolution Applicant in the newspaper Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) on 16.11.2019 was inadvertently mentioned as www.hythropower.com which is not correct.

The interested applicants may please note that the correct domain name is **www.hythropower.in**

Deepak Maini
Resolution Professional
For M/s Hythro Power Corporation Limited (under CIRP)
IBBI/IPA-001/IP-P00676/2017-2018/11149
C-100, Sector 2, Noida, Uttar Pradesh, 201301

Date: November 19, 2019
Place: New Delhi

FORM G
INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST

Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016

RELEVANT PARTICULARS

1	Name of the corporate debtor	Rathi TMT Saria Private Limited
2	Date of incorporation of corporate debtor	4th February, 2003
3	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	Registrar of Companies, Delhi and Haryana under The Companies Act,1956
4	Corporate identity number / limited liability identification number of corporate debtor	U27109DL2003PTC118794
5	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	Registered Office: C-220, 2ndFloor Savitri Nagar, New Delhi-110017
6	Insolvency commencement date of the corporate debtor	16th April, 2019
7	Date of invitation of expression of interest	19th November, 2019
8	Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at:	Details are available at rathitmtsaria.in / sunresolution.in or can be obtained by sending an email to cirp.rathitmtsaria@gmail.com
9	Norms of ineligibility applicable under section 29A are available at:	Details are available at rathitmtsaria.in / sunresolution.in or can be obtained by sending an email to cirp.rathitmtsaria@gmail.com
10	Last date for receipt of expression of interest	4th December, 2019
11	Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	6th December, 2019
12	Last date for submission of objections to provisional list	7th December, 2019
13	Date of issue of final list of prospective resolution applicants	9th December, 2019
14	Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants	7th December, 2019
15	Manner of obtaining request for resolution plan, evaluation matrix, information memorandum and further information	Eligible prospective resolution applicants set out as per S.No. 8 and after executing the Non-Disclosure Agreement/undertaking can get on request by email in electronic form.
16	Last date for submission of resolution plans	6th January, 2020
17	Manner of submitting resolution plans to resolution professional	By Post or by hand delivery in sealed envelope followed by an email confirmation
18	Estimated date for submission of resolution plan to the Adjudicating Authority for approval	8th January, 2020
19	Name and registration number of the resolution professional	Ajit Kumar IBBI/IPA-003/IP-N00062/2017-18/10548
20	Name, Address and e-mail of the resolution professional, as registered with the Board	Ajit Kumar 1A, Sanskriti Apartment GH-22, Sector 56, Gurugram, Haryana-122011 Email:cmaajitjha@gmail.com
21	Address and e-mail to be used for correspondence with the resolution professional	Ajit Kumar Sun Resolution Professionals Pvt Ltd. 83, National Media Centre, Shankar Chowk, Nr, Ambiance Mall/DLF Cyber City, Gurugram, Haryana -122002 Email: cirp.rathitmtsaria@gmail.com
22	Further Details are available at or with	Can be obtained by sending email cirp.rathitmtsaria@gmail.com
23	Date of publication of Form G	19th November,2019

Ajit Kumar
Resolution Professional Rathi TMT Saria Pvt. Ltd.
IBBI/IPA-003/IP-N00062/2017-18/10548
Date: 18th November, 2019
1A, Sanskriti Apartment GH-22,
Sector 56, Gurugram, Haryana - 122011

प्रपत्र – 'जी'
अभिरूचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण

दिवाला और ऋण शोध अक्षमता (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 36ए (1) के अधीन

प्रासंगिक विवरण

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	सिनकॉम हैल्थकेयर लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	29/07/2002
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित / पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, मुम्बई
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या	L51397MH2002PLC136652
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	502, एडवेंट आर्टिया, विघोली बन्दर रोड ओपी. किंग्स्टन कॉम्प्लेक्स, मलाड (डब्लू) मुंबई मुंबई सिटी एमएच 400064 भारत
6.	कार्पोरेट देनदार की ऋण शोध अक्षमता आरंभन की तिथि	14.08.2019
7.	अभिरूचि की अभिव्यक्ति के आमंत्रण की तिथि	19.11.2019
8.	संहिता की धारा 25(2)(एच) के अधीन समाधान आवेदकों की ग्राह्यता :	www.syncomhealthcare.in www.insolvencyandbankruptcy.in
9.	धारा 29ए के अधीन लागू अग्राह्यता के मानदंड :	www.syncomhealthcare.in www.insolvencyandbankruptcy.in
10.	अभिरूचि की अभिव्यक्ति की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि	04.12.2019
11.	संभावित समाधान आवेदकों की अंतरिम सूची जारी करने की तिथि	14.12.2019
12.	अंतरिम सूची के बारे में आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	19.12.2019
13.	संभावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	29.12.2019
14.	संभावित समाधान आवेदकों को सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा समाधान योजना हेतु अनुरोध जारी करने की तिथि	19.12.2019
15.	समाधान योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना ज्ञापन तथा अतिरिक्त सूचना हेतु अनुरोध प्राप्त करने की विधि	रिजॉल्यूशन पेशेवर केवाईसी के सत्यापन, निवेश करने की क्षमता, प्रबंधन करने की क्षमता और आईबीसी, 2016 की धारा 29 ए के तहत योग्यता और पूर्व–योग्यता मानदंड के बाद संकल्प योजना / मूल्यांकन मैट्रिक्स / सूचना ज्ञापन के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में साझा करेगा, COC द्वारा अनुमोदित है।
16.	समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	20.01.2020
17.	समाधान प्रोफेशनल को समाधान योजना सौंपने की विधि	क्रम संख्या 21 में उल्लिखित ईमेल आईडी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में। एक अतिरिक्त भौतिक प्रतिलिपि क्रम संख्या 21 में उल्लिखित पते पर विधिवत हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी, अतिरिक्त लिफाफे में भी प्रस्तुत की जा सकती है, जो की अंतिम तिथि पर या उससे पहले पहुंच सकें।
18.	निर्णायक प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु अनुमानित तिथि	जैसे ही सीओसी के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाता है।
19.	समाधान प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर	सी.ए. जगदीश कुमार IBBI/IPA-001/IP-P00671/2017-2018/11143
20.	समाधान प्रोफेशनल का नाम, पता और ई–मेल, जैसाकि बोर्ड में पंजीबद्ध है	जगदीश कुमार, एएए इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एलएलपी में पार्टनर पंजीकृत पता : बी–56, वॉलफोर्ट सिटी, भाटागांव, रिंग रोड नंबर 1, रायपुर, छत्तीसगढ़ –492001 ईमेल : jkparulkar@yahoo.co.in
21.	पता और ई–मेल, जो समाधान प्रोफेशनल के साथ पत्राचार के लिए प्रयुक्त किया जाना है	पत्राचार का पता– एएए इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल एलएलपी, ई –10 ए, कैलाश कॉलोनी, ग्रेटर कैलाश–I, नई दिल्ली – 110048 ईमेल : syncom@aaainsolvency.com jkparulkar@aaainsolvency.com लैंडलाइन : 011–46664600
22.	अतिरिक्त विवरण पर अथवा के पास उपलब्ध है	www.insolvencyandbankruptcy.in
23.	प्रपत्र 'जी' के प्रकाशन की तिथि	19.11.2019

हस्ता/–
सी.ए. जगदीश कुमार
IBBI/IPA-001/IP-P00671/2017-2018/11143
बी–56, वॉलफोर्ट सिटी, भाटागांव, रिंग रोड नंबर 1, रायपुर, छत्तीसगढ़ –492001
(सिनकॉम हैल्थकेयर लिमिटेड) के लिए

तिथि : 19 / 11 / 2019
स्थान : नई दिल्ली

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
...भरोसे का प्रतीक! ...the name you can BANK upon!

शाखाः आर्य समाज, सम्भल (उ.प्र.); सर्किल कार्यालयः मोरादाबाद

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति/ चल सम्पत्ति के लिए)

कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित धारा 13 (4) तथा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना यहां नीचे तालिका में वर्णित तिथि को जारी कर ऋणधारकों को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक तथा गारन्टर्स इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, गारन्टरों तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित तिथि को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय नीचे वर्णित राशि तथा उस पर ब्याज के लिए पंजाब नेशनल बैंक के चार्ज के अधीन होगा

ऋणधारक/ गारन्टर का नाम	प्रतिभूत परिसम्पत्ति(यों) का विवरण	सूचना 13(4) में बकाया राशि	मांग सूचना तिथि/ कब्जा की तिथि
1) मै. अर्शद बटन एंड बकल्स उद्योग द्वारा प्रॉप्राईटर श्री अर्शद फैयाज, पुत्र शरीफुर्नबी, 2) श्री दिलशाद पुत्र शरीफुर्नबी, 3) श्री मोह. अशरफ, पुत्र शरीफुर्नबी (खाता नं. 08930008700006881)	क्रम सं. 224 में 24.1.2002 को उप रजिस्ट्रार कार्यालय सम्भल में पंजीकृत (श्री अरशद फैयाज, मोह. दिलशाद एवं मोह. अशरफ, पुत्र श्री शरीफुर्नबी के नाम) मोहल्ला हीजरान सराईतरिण, सम्भल (उ.प्र.) में स्थित आवासीय सम्पत्ति माप 149 वर्ग मी.)	6.4.2019 को रु. 1035650.32 + आगे का ब्याज एवं सम्पूर्ण भुगतान तक लागत	16.5.2019/ 14.11.2019

तिथिः 18.11.2019
स्थानः सम्भल
प्राधिकृत अधिकारी

शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कं. लि.
कॉर्पोरेट कार्यालय : 425, उद्योग विहार, फेज-IV, गुरुग्राम-122015 (हरियाणा)
दूरभाष : 0124-4212530/31/32, ई-मेल : customercare@shubham.co वेबसाइट : www.shubham.co

प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण की धारा 13(2) (इसके पश्चात ''अधिनियम'' कहा जायेगा) के तहत सूचना

यह आपके संज्ञान में लाया जाता है कि आपका ऋण खाता प्रतिभूत लेनदार शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड, पंजीकृत पता डी-3025, भूतल, सर्वोदय एन्कलेव, नई दिल्ली-110017 (इसके पश्चात ''एसएचडीएफसी'' कहा जायेगा) द्वारा एनपीए घोषित किया गया है और आप अपने विरुद्ध एसएचडीएफसी के कुल बकाया को अदा करने के उत्तरदायी हैं। साथ ही आप आकस्मिक व्ययों, लागतों, प्रभारों आदि सहित उपर्युक्त राशि पर अनुबन्ध दर से भावी ब्याज अदा करने के भी उत्तरदायी हैं। अतः, एतद्वारा हम आपसे इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर अपनी देयताएँ एसएचडीएफसी को भुगतान करने के लिए कहते हैं जिसमें असफल रहने पर एसएचडीएफसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेगा। कर्जदारों तथा प्रतिभूत आस्तियों का विवरण निम्नलिखित है :

क्र. सं.	कर्जदार(रों) का नाम	पता	सूचना की राशि	प्रतिभूत आस्ति
1.	हरकेश, विजय, माया देवी	म.नं. ए–133, जगतपुरी, गली नं. 23, मंडोली रोड, शाहदरा, पूर्वी दिल्ली–110093	रु. 6,08,473/–	सम्पत्ति सं. ए–133, खसरा नं. 197, जगतपुरी इलाका, शाहदरा पूर्वी दिल्ली–110093
2.	राम कुमार, सुनीता देवी	म.नं. 1074, द्वितीय तल, 201 गली नं. 6, बालाजी कॉलोनी, कापसहेड़ा, दिल्ली, दक्षिणी–पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली–110037	रु. 14,49,852/–	एफ. सं. 201, एसएफ, पी. नं. 1074/1, खसरा नं. 1074, एक्सटेंडेड लाल डोरा आबादी, ग्राम कापसहेड़ा, दक्षिणी–पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली–110037
3.	संजय, सुदेश	क्वार्टर सं. 6, द्वितीय तल, ब्लॉक नं. 20, एम.सी.डी. कॉलोनी, मॉडल टाउन 3, उत्तरी–पश्चिमी दिल्ली–110009	रु. 10,46,631/–	खेवट सं. 180/175, खतौनी सं. 280, खसरा नं. 3080(0–14), ग्राम : बहादुरगढ़, हरियाणा

स्थान : गुरुग्राम
तिथि : 18.11.2019
अधिकृत प्राधिकारी
शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कम्पनी लि.

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
...भरोसे का प्रतीक! ...the name you can BANK upon!

शाखा कार्यालय : एनएसआईसी भवन, ओखला इण्डस्ट्रियल एस्टेट, फेज-III, नई दिल्ली-110020
दूरभाष : 26926610, 26927409, ई-मेल : bo0602@pnb.co.in

कब्जा सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के तहत

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की वित्तीय अस्तियों एवं प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में पंजाब नैशनल बैंक का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते कथित अधिनियम की धारा 13(2) के तहत 18.01.2017 को एक माँग सूचना निर्गत की थी। पुनः अन्य संकाय सदस्य बैंक कॉर्पोरेशन बैंक ने भी कथित अधिनियम की धारा 13(2) के तहत 26.11.2017 को एक माँग सूचना निर्गत की थी।

दोनों सूचनाएँ कथित माँग सूचनाओं में उल्लिखित पीएनबी हेतु 31.12.2016 तक राशि रु. 75,72,33,979.99 तथा कॉर्पोरेशन बैंक हेतु रु. 114,21,40,994.00 अर्थात समस्त आकस्मिक व्ययों, लागत प्रभार आदि सहित कथित राशि पर अनुबन्ध दर पर भावी ब्याज के साथ कुल राशि रु. 189,93,74,973.99 का पुनर्भुगतान कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने के लिए कहते हुए मैसर्स आर.के. विंड लिमिटेड (पूर्व का पॉवरविंड लिमिटेड) कर्जदार/जमानती/बंधककर्ता के पास एक माँग सूचनी निर्गत की।

क्र.सं.	सुविधा	सीमा	31.12.2016 तक शेष बकाया
1.	CC (1529008700080394)	28,00,00,000/–	62,72,33,975.99
2.	सावधि ऋण (1529001000187799)	13,00,00,000/–	13,00,00,004.00
	TOTAL		75,72,33,979.99

कॉर्पोरेशन बैंक द्वारा प्रदत्त सुविधा

क्र.सं.	सुविधा	सीमा	25.04.2017 तक शेष बकाया
1.	नकद साख CC/01/130001	30,00,00,000/–	31,05,53,861/–
2.	सावधि ऋण TLS/01/120001	26,00,00,000/–	12,37,73,571/–
3.	इनलैण्डड/आयात एलसी सह बीजी/क्रेता साख (पूँजीगत वस्तुओ हेतु आयात एलसी/बीसी) (एफडीबीडी 52,96,387 जीबीपी (एक बारगी)	70,00,00,000/–	70,78,13,616/– [बीजी : 6,65,00,000] [पीआरआईबीएल : 14,70,13,616] [बीसीआर : 5,67,00,000] [एक बारगी एफडीबीडी : 43,76,00,000]

कॉर्पोरेशन बैंक के समस्त दावों का कुल योग

क्र.सं.	सीमा की प्रकृति	26.11.2017 तक कुल दावा
1.	CC/01/130001	31,05,53,861
2.	TLS/01/120001	12,37,73,517
3.	बैंक गारंटी	6,65,00,000
4.	पीआरटीबीएल (एलसी/बीजी क्रिस्टलाइज्ड दायित्व)	14,70,13,616
5.	एफडीबीडी 52,96,387 जीबीपी (एक बारगी)	43,76,00,000
6.	क्रेता साख	5,67,00,000
	कुल	114,21,40,994/–

कर्जदार के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदार को तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 4 के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में 13 नवम्बर, 2019 को नीचे वर्णित सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया है।

प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के विषय में कर्जदारों/जमानतियों/गिरवीकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आकृष्ट किया जाता है।

विशेष रूप से कर्जदार तथा जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति से किसी प्रकार का संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति/यों के साथ किसी प्रकार का संव्यवहार रु. 189,93,74,973.99 (रुपये एक सौ नवासी करोड़ तिरानबे लाख चौहत्तर हजार नौ सौ तिहत्तर एवं निन्यानबे पैसे मात्र) जिसमें रु. 75,72,33,979.99 तथा 01.09.2016 से प्रभावी सावधि ऋण खाता एवं 01.12.2016 से प्रभावी नकद साख खाता में इस पर ब्याज पंजाब नैशनल बैंक के तथा रु. 114,21,40,994.00 एवं 27.11.2017 से प्रभावी इस पर ब्याज शामिल है, के लिए पंजाब नैशनल बैंक एवं अन्य सहायता संघ कॉर्पोरेशन बैंक के प्रभार का विषय होगा।

अपके द्वारा प्रतिभूत ऋणों को चुकता न करने की स्थिति में बैंक द्वारा प्रवर्तित होने वाली प्रतिभूत आस्ति/यों का विवरण निम्नलिखित है :
1. कच्चे माल, स्टॉक इन प्रोग्रेस, स्टोर एवं उपभोग सामग्रियाँ, तैयार माल एवं प्राप्तियों जैसे कम्पनी की वर्तमान आस्तियों पर प्रथम समरूप प्रभार।
2. फैक्ट्री, भूमि तथा भवन एवं संयन्त्र एवं मशीनरी से निर्मित अवरुद्ध आस्तियों पर प्रथम समरूप प्रभार।
3. मैसर्स आर.के. विंड लिमिटेड के नाम पर एचएसआईडीसी ग्रोथ सेंटर, बावल, हरियाणा-123501 पर औद्योगिक प्लॉट सं. 352-353, सेक्टर-2 की इक्विटेबल बंधक। हमें अन्य प्रतिभूत आस्तियों को प्रवर्तित करने का अधिकार है। कृपया इस सूचना के तहत इस माँग का अनुपालन करें और समस्त दुखद घटनाओं से बचें गैर-अनुपालन की स्थिति में आगे की कार्यवाही की जायेगी, जिसमें समस्त लागतों तथा परिणामों के लिए आप उत्तरदायी होंगे।

यह सूचना डीआरटी/न्यायालय, जैसी स्थिति हो, के समक्ष विधिक कार्यवाही करने वाले बैंक के पूर्वाग्रह रहित है।

आपका विश्वसनीय
कृते पंजाब नैशनल बैंक
अधिकृत प्राधिकारी

फीनिक्स आर्क प्राइवेट लिमिटेड
सीआईएन : U67190MH2007PTC168303
पंजीकृत कार्यालय : दानी कार्पोरेट पार्क, 5वीं मंजिल, 158, सी.एस.टी. रोड, कलीना, सांताक्रूज (पू.), मुम्बई-400098, दूरभाष : 022- 6741 2314, फैक्स : 022- 6741 2313
ई-मेल : INFO@PHOENIXARC.CO.IN, वेबसाइट : WWW.PHOENIXARC.CO.IN

ONLINE E - AUCTIONSALE OF ASSET

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु विक्रय सूचना।

रेलिगेयर इन्वेस्ट लिमिटेड (आरएफएल) ने 15 अक्टूबर, 2018 को समनुदेशन समझौते के माध्यम से फीनिक्स आर्क प्राइवेट लिमिटेड (फीनिक्स ट्रस्ट एफवाई 19-5 स्कीम के के न्यासी के रूप में कार्यरत) (फीनिक्स) के पक्ष में ऋण आवंटित किया है और एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से नीचे उल्लिखित तालिका में वर्णित कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत लेनदान के पास बंधक/प्रभारित निम्नलिखित अचल सम्पत्ति, जिसका भौतिक कब्जा फीनिक्स के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा 19.09.2019 को कर लिया गया है, कम्पनी के बकायों की वसूली के लिए उनकी बिक्री ''जहाँ है जैसे है'', ''जो है यही है'' और ''जो कुछ भी है वहीं है'' के आधार पर की जायेगी।

ज्ञात ऋणभारों, यदि कोई हो, सहित अचल सम्पत्ति का विवरण :

निम्नलिखित भूमि के आनुपातिक अविभाजित, अविभाज्य तथा अपक्षपाती स्वामित्व अधिकारों सहित फ्रीहोल्ड सम्पत्ति सं. 14/4 में से बिल्ट अप सम्पूर्ण तृतीय मंजिल का सम्पूर्ण भाग, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008 की आबादी में स्थित सुपर स्ट्रक्चर सहित 200 वर्ग गज माप की भूमि।

कर्जदार/रों तथा जमानती/यों का नाम एवं पता	1. ई-नीलामी की तिथि एवं समय 2. ई.एम.डी. जमा करने की अन्तिम तिथि 3. सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय	1. आरक्षित मूल्य 2. सम्पत्ति की ई.एम.डी. 3. संविदा बढ़ोत्तरी
श्री मुकेश सेठी पुत्र स्व. श्री महिन्दर कुमार सेठी एवं शशि सेठी पत्नी श्री मुकेश सेठी दोनों निवासी : 14/4, तृतीय मंजिल, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008 श्री मुकेश सेठी C/o मैसर्स कोडियक फोरेक्स प्रा.लि. तथा कोडियक फोरेक्स प्रा.लि. इसके निदेशक श्री मुकेश सेठी के माध्यम से दोनों निवासी : दुकान नं. 24, मोहन सिंह पैलेस, बाबा खड़ग सिंह मार्ग, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001. ऋण खाता सं. : XMORPNG00004267, XMORPNG00019210 तथा XMORPNG00045024 कुल बकाया राशि : 13.11.2019 तक रु. 1,37,01,263/– (रुपये एक करोड़ सैंतीस लाख एक हजार दो सौ तिरेसठ मात्र) एवं 14.11.2019 से उस पर प्रयोज्य ब्याज तथा पूर्ण भुगतान तक समस्त लागत, प्रभारों एवं व्ययों सहित	1) ई-नीलामी तिथि : 27 दिसम्बर, 2019 को 12:00 बजे अपराह्न से 01:00 बजे अपराह्न के बीच 5 मिनटों के असीमित विस्तार सहित सहित। 2) केवाईसी सहित ई.एम.डी. जमा करने की अन्तिम तिथि 24 दिसम्बर, 2019 को 06:00 बजे अपराह्न (भा.मा.स.) तक है। 3) निरीक्षण की तिथि : 17 दिसम्बर, 2019 को 11:00 बजे पूर्वाह्न से 2:00 बजे अपराह्न (भा.मा.स.) के बीच।	आरक्षित मूल्य रु. 1,30,000/– (रुपये एक करोड़ तीस लाख मात्र) ई.एम.डी. रु. 13,00,000/– (रुपये तेरह लाख मात्र) संविदा बढ़ोत्तरी : रु. 1,00,000– (रुपये एक लाख मात्र) एवं इन्हीं गुणकों में

धरोहर राशि डीडी के माध्यम से ''फीनिक्स ट्रस्ट एफवाई 19-5 स्कीम के'' के पक्ष में दिल्ली में देय अथवा एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से चालू खाता : 8612775972; कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड, शाखा : कलीना, मुम्बई, आईएफएससी कोड : KKBK0000631 में जमा करनी होगी।

विक्रय के तहत आस्तियों के सम्बन्ध में किसी स्पष्टीकरण/पूछताछ के मामले में संविदाकार श्री लोकेश कुमार (+91 8377809456), सुश्री अनिशा शिंदे (022-67410442) तथा श्री आकाश सक्सेना (+91 8860001910) से सम्पर्क कर सकते हैं।

विक्रय के विस्तृत नियम एवं शर्तों हेतु कृपया फीनिक्स आर्क प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट WWW.PHOENIXARC.CO.IN में प्रावधानित लिंक HTTP://PHOENIXARC.CO.IN/SALEAUCTION.PHP?ID=NTI0 तथा/अथवा HTTPS://PHOENIXARCAUCTIONTIGER.NET देखें।

अधिकृत प्राधिकारी
फीनिक्स आर्क प्राइवेट लिमिटेड
(''फीनिक्स ट्रस्ट एफवाई 19-5 स्कीम के न्यासी के रूप में कार्यरत)

स्थान : दिल्ली
तिथि : 15.11.2019

ADF Foods Limited
CIN: L15400GJ1990PLC014265
Regd. Office: 83/86 GIDC Industrial Estate, Nadiad 387001, Gujarat. **Tel.:** 0268-2551381/2; **Fax:** 0268-2565068; **Email id:** co_secretary@adf-foods.com; **Website:** www.adf-foods.com

NOTICE

Notice is hereby given that the Company has received request relating to transfer of shares in physical mode in terms of SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/DOS3/CIR/P/2018/139 dated November 6, 2018 as given below:

Folio No.	Share Certificate Nos.	Distinctive Nos.	Name of the Transferor	No. of shares	Name of the proposed Transferee
P006131	0022555	02254771 - 02254870	P Ramanathan	100	Setu Bijal Shah
R012097	0033443 & 0009473	03343571 - 03343670 00946571 - 00946670	Renuka Fatehchand Kewalramani Ram Fatehchand Kewalramani	200	Satyavati S H. Shekhar

In case any person has any claims/ objection(s) for the transfer of such shares in favour of the above stated applicants, he/she/they should lodge their claim(s)/ objection within 30 days of the date of this notice with the Company Secretary of the Company or its Registrar and Share Transfer Agent (RTA) - M/s. Link Intime India Private Limited, C-101, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400 083. If within the stipulated period of 30 days, no claim/ objection is received by the Company or its RTA, in respect of the said shares, the Company shall proceed with the transfer of the above shares in the name of the respective Transferees.

For ADF Foods Ltd.
Sd/-
Shalaka Ovalekar
Company Secretary

Place: Mumbai
Date: November 19, 2019

IDBI BANK
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, ई-1, प्रथम तल, वीडियोकॉन टावर, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055, फोन : 011–66083065, 66084896

कब्जा सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि बैंक द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उनके नाम के सामने वर्णित तिथियों को मांग सूचनाएं जारी की थीं, जिनमें उनसे बकाया राशि का भुगतान उक्त सूचनाओं की प्राप्ति की तिथि से साठ दिन के भीतर करने की मांग की गई थी। चूंकि कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, अतः एतद्द्वारा कर्जदारों और जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्जदार के नाम के सामने वर्णित तिथि को यहां नीचे वर्णित अचल सम्पति का कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार को तथा सामान्य रूप से जनसाधारण को सम्पति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और सम्पति के संबंध में कोई भी संव्यवहार **आईडीबीआई बैंक लिमिटेड** की बकाया राशि तथा उस पर ब्याज और प्रभारों के भुगतान के बाद ही किया जा सकता है।

क्र. सं.	कर्जदार/सह-कर्जदार/ गारंटर तथा सम्पति के स्वामी का नाम	मांग सूचना की तिथि	कब्जा की तिथि	बंधक सम्पति का वर्णन	बकाया राशि (जैसाकि धारा 13(2) के तहत सूचना में वर्णित है)
1.	श्री प्रदीप सागर (कर्जदार), श्रीमति शालीनी सागर (गारंटर)	11/12/2018	14/11/2019

भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था : ठाकुर

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 18 नवंबर।

केंद्र सरकार ने सोमवार को लोकसभा में दावा किया कि दुनियाभर में मंदी के बावजूद इस समय भी देश की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है और सरकार ने इसे मजबूती प्रदान करने के लिए बैंकों का विलय और उद्योगों को कर में छूट सहित कई कदम उठाए हैं।

वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रश्नकाल में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए यह भी कहा कि 2025 तक भारत पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने राजग सरकार के पहले कार्यकाल में हुए नोटबंदी के फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि कालाधन पर लगाम लगाने का साहस केवल इस सरकार में था और इस कदम के बाद कर संग्रहण दोगुना हो गया और करदाताओं की संख्या भी बढ़ गई।

तृणमूल कांग्रेस की प्रतिमा मंडल के पूरक सवाल के जवाब में ठाकुर ने कहा कि पिछले चार महीने और इससे पहले के पांच साल में देश सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना है। उन्होंने कहा कि 2014 से 2019 तक औसत विकास दर 7.5 फीसद रही जो जी-20 देशों में सर्वाधिक है।

ठाकुर ने कहा कि जब दुनिया की जीडीपी दर 3.8 फीसद से कम होकर पिछले वर्ष 3.6 फीसद रह गई और इस वर्ष इसके तीन फीसद रहने का अनुमान है तब भी विश्व आर्थिक परिदृश्य (डब्लूईओ) ने 2019-20 में जी-20 समूह के देशों में भारत की विकास दर सबसे ज्यादा रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है।

आम आदमी पार्टी के सदस्य भगवंत मान ने पूछा कि देश की अर्थव्यवस्था में पांच फीसद की गिरावट दर्ज की गई है। जमीन पर स्थिति कुछ और है और क्या सरकार मानने को तैयार है कि देश में आर्थिक मंदी है? इस पर वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि पांच फीसद गिरावट नहीं है जैसा कि सदस्य कह रहे हैं। वित्त राज्य मंत्री ने अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कुछ कदम गिनाते हुए कहा कि बैंकों का विलय किया गया है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआइ) लाने के लिए प्रावधान किए गए और एफडीआइ आया भी है।

ठाकुर ने कहा कि आज भी राजकोषीय घाटा, मुद्रास्फीति आदि के आंकड़ों को देखें तो सरकार के कदम साफ दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि 2016 में सरकार दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (इनसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टसी कोड) लाई। भगोड़े आर्थिक अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए विधेयक लाया गया। हाल ही में सरकार ने नई घरेलू विनिर्माण कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट कर की दर को 30 फीसद से कम करके 15 फीसद कर दिया है जो दुनिया में सबसे कम है। उन्होंने इस कदम को 1991 के आर्थिक सुधार के बाद इस दिशा में सबसे बड़ा कदम करार दिया।

- पिछले चार महीने और इससे पहले के पांच साल में देश सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना है। 2014 से 2019 तक औसत विकास दर 7.5 फीसद रही जो जी-20 देशों में सर्वाधिक है। जब दुनिया की जीडीपी दर 3.8 फीसद से कम होकर पिछले वर्ष 3.6 फीसद रह गई और इस वर्ष इसके तीन फीसद रहने का अनुमान है तब भी विश्व आर्थिक परिदृश्य (डब्लूईओ) ने 2019-20 में जी-20 समूह के देशों में भारत की विकास दर सबसे ज्यादा रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है।

प्रदूषण की मार आगे भी रहेगी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 18 नवंबर।

दिल्ली के लोगों को एक बार फिर गंभीर प्रदूषण का सामना करना पड़ेगा। वायु गुणवत्ता नियंत्रण कक्ष के पूर्वानुमान के मुताबिक 20 और 21 नवंबर को राजधानी के कई इलाकों में एक्यूआइ सात सौ से आठ सौ के बीच रहने की आशंका है। यह 400 से अधिक हो तो सेहत के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है।

इस बीच केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने प्रदूषण से निपटने के लिए हुई बैठक में फैसला लिया है कि 15 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच प्रदूषण रोकने के सारे उपाय किए जाएं। सफर का पूर्वानुमान है कि दिल्ली में 20 और 21 को प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक हो सकता है। बुधवार को दिल्ली के 20 मापक केंद्रों में से सात केंद्रों में एक्यूआइ 500 से 600 के बीच रहने के आसार हैं जबकि गुरुवार को इनमें से 11 केंद्रों पर एक्यूआइ 500 से 800 के बीच रहने की आशंका है। सफर ने बताया कि आगे प्रदूषणकारी तत्व वायुमंडल के निचले स्तर पर जमा हो कर हवा को बेहद जहरीली बना देंगे। सुबह कोहरा भी होगा। सफर के मुताबिक इस बीच हरियाणा, पंजाब व पाकिस्तान में पराली जलाने के मामले भी देखे गए हैं। केंद्रीय पर्यावरण सचिव सीके मिश्र की अगुआई में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली व उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों के साथ हुई बैठक में कृषि व शहारी विकास मंत्रालय के अधिकारी व तमाम स्थानीय निकाय शामिल हुए। सीके मिश्र ने बताया कि दिल्ली मे प्रदूषण से निपटने की कार्य योजना तैयार कर ली गई है। इसकी समीक्षा भी हो चुकी है जल्द ही उस पर अमल होगा।

आशीर्वाद शीतकालीन सत्र के पहले दिन संसद पहुंचने पर वयोवृद्ध भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी की अगवानी करते गृह मंत्री अमित शाह।

लोकसभा में चिटफंड संशोधन विधेयक, 2019 पेश

नई दिल्ली, 18 नवंबर (भाषा)।

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सोमवार को लोकसभा में चिटफंड संशोधन विधेयक 2019 पेश किया जिसका उद्देश्य चिटफंड क्षेत्र का सुव्यवस्थित विकास करने के लिए इस उद्योग के समक्ष आ रही अड़चनों को दूर करना है। सदन में विधेयक पेश करते हुए ठाकुर ने कहा कि चिटफंड सालों से छोटे कारोबारों और गरीब वर्ग के लोगों के लिए निवेश का स्रोत रहा है लेकिन कुछ पक्षकारों ने इसमें अनियमितताओं को लेकर चिंता जताई थी जिसके बाद सरकार ने एक परामर्श समूह बनाया।

उन्होंने कहा कि 1982 के मूल कानून को चिटफंड के विनियमन का उपबंध करने के लिए लाया गया था। संसदीय समिति की सिफारिश पर इसमें अब संशोधन के लिए विधेयक लाया गया है। उक्त विधेयक पिछले लोकसभा सत्र में पेश किया गया था लेकिन लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही यह निष्प्रभावी हो गया।

विधेयक में व्यक्तियों की संकलित चिट रकम की अधिकतम सीमा को एक लाख रुपए से संशोधित करके तीन लाख करने का प्रावधान किया गया है।

ठाकुर ने कहा कि चिटफंड को नकारात्मकता के साथ देखा जाता रहा है, इसलिए इसकी छवि सुधारने के लिए विधेयक में कुछ दूसरे नाम भी सुझाए गए हैं। उन्होंने कहा कि चिटफंड अवैध नहीं, वैध कारोबार है। ठाकुर ने कहा कि राज्य चिट की सीमा निर्धारित कर सकते हैं।

विधेयक पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के सप्तगिरि उलका ने कहा कि यह विधेयक असंगठित क्षेत्र के लिए पर्याप्त नहीं लगता। उन्होंने कहा कि केवल नाम बदलने से समाधान नहीं निकलेगा, बल्कि इसका पूरी तरह से नियनम जरूरी है। उलका ने कहा कि पहले से जो चिटफंड हैं, वे इस विधेयक के दायरे में नहीं आएंगे। सरकार इस संबंध में बताए कि क्या पहले से चालू चिटफंड इस विधेयक के दायरे में आ सकते हैं। उन्होंने अपने गृह राज्य ओड़ीशा में चिटफंड के कथित घोटालों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि केंद्र सरकार बताए कि राज्य में इस संबंध में सीबीआई जांच की क्या स्थिति है। उलका ने कहा कि चिटफंड में कथित राजनीतिक संरक्षण भी होता है इसलिए सारे अधिकार राज्य सरकार को नहीं दिए जाने चाहिए।

लोकसभा : सरकार को घेरने में विपक्ष रहा सफल

मनोज मिश्र
नई दिल्ली, 18 नवंबर।

प्रचंड बहुमत से दोबारा केंद्र में आई भाजपा और उसके सहयोगी दलों को विपक्षी दलों ने पहले दिन संसद के भीतर और बाहर घेरने में कामयाबी हासिल की। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी और कुछ मंत्री सदन में थे लेकिन वरिष्ठ मंत्रियों की गैरहाजरी से भी विपक्ष को अपनी रणनीति पूरा करने में कामयाबी मिली। वहीं महाराष्ट्र में भाजपा से अलग होने के बाद शिव सेना के तेवर तीखे दिखे। उसके सदस्यों ने महाराष्ट्र के किसानों का मुद्दा बनाकर सदन से वाकआउट किया और संसद के बाहर भी नारेबाजी की। संसद के भीतर तो हंगामा का सबसे बड़े मुद्दा नेशनल कांफ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला को श्रीनगर में हिरासत में रखे जाने का बना। इस मुद्दा को उठाते हुए कांग्रेस, द्रमुक और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने लोकसभा में सरकार पर निशाना साधा और लोकसभा अध्यक्ष से सरकार को अब्दुल्ला को तत्काल रिहा करने का आदेश देने का अनुरोध किया। इस मुद्दे पर विरोध जताते हुए कांग्रेस के सदस्यों ने सदन से वाकआउट किया।

इतना ही नहीं पीडीपी के सदस्यों ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की रिहाई आदि मुद्दों पर संसद परिसर में धरना दिया और नारेबाजी की। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन लोकसभा की बैठक शुरू होते ही कांग्रेस, नेशनल कांफ्रेंस, द्रमुक और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने इस विषय पर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा में प्रश्न काल भी नाम का ही चला। जिस लोकसभा ने ऐलान कर रखा था कि वे किसी को बेल में आने नहीं देंगे, उन्हें मजबूरन पूरा प्रश्न काल ही नारेबाजी के बीच चलाना पड़ा। शोर शांत करने के लिए उन्होंने खड़े होकर सभी से अपनी सीटों पर जाने का अनुरोध करते हुए कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को बोलने की अनुमति दी। महज तीन मिनट में ही चौधरी ने सदन का माहौल ही बदल दिया। आश्चर्यजनक रूप से सत्ता पक्ष के लोग चुप रहे। केवल प्रह्लाद जोशी और गृह राज्य मंत्री जी कृष्ण रेड्डी बोलने का प्रयास करते दिखे। ऐसे समय में सोनिया गांधी भी अधीर रंजन का उत्साह बढ़ाते दिखीं।

चौधरी ने कहा कि गत पांच अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह ने सदन को आश्वासन दिया था कि फारूक अब्दुल्ला को हिरासत में नहीं लिया गया है और उनकी सेहत खराब है। लेकिन वह 108 दिन से हिरासत में हैं। उन्होंने लगे हाथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की एसपीजी सुरक्षा हटाए जाने का भी विषय उठाया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि जब गृह मंत्री ने सदन में कहा था कि फारूक अब्दुल्ला को हिरासत में नहीं लिया गया है तो यह बात सत्य थी क्योंकि तब तक सदन को उनके हिरासत में रखे जाने की कोई सूचना नहीं थी। अब उन्हें इसकी सूचना दी गई है। द्रमुक के टीआर बालू ने कहा कि सरकार ने अब्दुल्ला को किस कानून के तहत हिरासत में लिया? नेशनल कांफ्रेंस के हसनैन मसूदी ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला 5 अगस्त को भी हिरासत में थे, इस बात के सबूत हैं। विपक्षी सदस्य गृहमंत्री से जवाब देने की मांग करते रहे।

17वीं लोकसभा के पहले सत्र में संभवत लोकसभा के इतिहास में पहली बार तय समय से ज्यादा काम हुआ। सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 379 हटाने से लेकर, तीन तलाक समेत 35 सरकारी विधेयक पास करवाए। हालात ऐसे लग रहे थे कि सदन में विपक्ष कहीं दिखा ही नहीं। आनन फानन में सत्र को बढ़ा कर कई लंबित विधेयक पास करवाए गए। सारे महिला सदस्यों, पहली बार सदन में आए सभी सदस्यों को अध्यक्ष ने बोलने का मौका दिया। पहली बार सदन का पूरा ही कामकाज हिंदी में हुआ। ऐसे ही कई नई परंपराएं भी उस सत्र में डली। इस बीच में हरियाणा और महाराष्ट्र विधान सभा चुनाव के नतीजे आए, जिसमें विपक्ष कुछ मजबूत दिखा या सत्ता पक्ष ने सही तैयारी नहीं की, अन्यथा पहले दिन विपक्ष सदन में हावी न होता। ऐसा रोज भले ही विपक्ष न कर पाए लेकिन यह साबित हो गया कि अगर विपक्ष एकजूट दिखे तो कम संख्या बल के बावजूद सदन में उनकी मौजूदगी का एहसास सत्ता पक्ष को हो जाएगा। वैसे अभी भी राजग में सीधे शामिल दलों में बीजू जनता दल, टीआरएसआदि विपक्ष के साथ नहीं दिखे।

- पीडीपी के सदस्यों ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की रिहाई आदि मुद्दों पर संसद परिसर में धरना दिया और नारेबाजी की। लोकसभा की बैठक शुरू होते ही कांग्रेस, नेशनल कांफ्रेंस, द्रमुक और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने इस विषय पर हंगामा शुरू कर दिया।

खबर कोना

हांगकांग में सोमवार को प्रदर्शनकारी छात्रों पर आंसू गैस और पानी की बौछार करती पुलिस।

हांगकांग पुलिस ने तीन गोलियां चलाईं, तनाव बढ़ा

हांगकांग, 18 नवंबर (एएफपी)।

हांगकांग विश्वविद्यालय में एकत्र लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को भीतर आने से रोकने के लिए सोमवार को परिसर के मुख्य द्वार पर आग लगा दी। पुलिस ने बताया कि उसने सोमवार तड़के विश्वविद्यालय के निकट प्रदर्शन स्थल पर तीन गोलियां चलाईं। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान कोई हताहत नहीं हुआ। एक प्रदर्शनकारी की ओर से चलाया गया तीर रविवार को पुलिस अधिकारी के पैर में लग गया था। छह महीने से अशांत चल रहे शहर में पुलिस की चेतावनी से तनाव और बढ़ गया है। चीन ने बार-बार चेतावनी दी है कि वह असंतोष को सहन नहीं करेगा। इस बात को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है कि चीन इस अशांति को समाप्त करने के लिए सीधा हस्तक्षेप कर सकता है।

कैलिफोर्निया में गोलीबारी, चार मरे

लॉस एंजिल्स, 18 नवंबर (एएफपी)।

कैलिफोर्निया में एक मकान के पीछे के आंगन में फुटबाल मैच देख रहे लोगों पर रविवार को बंदूकधारिकयों ने गोलीबारी की जिसमें चार लोगों की मौत हो गई और छह अन्य लोग घायल हो गए।

लॉस एंजिल्स से करीब 320 किलोमीटर दूर फ्रेस्नो में एक मकान के पीछे एकत्र करीब 35 लोगों की भीड़ पर कम से कम एक व्यक्ति ने गोलीबारी कर दी। फ्रेस्नो के उप पुलिस प्रमुख माइकल रीड ने कहा, 'तीन लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।' उन्होंने बताया कि चौथे व्यक्ति को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया जहां उसने दम तोड़ दिया। गोलीबारी में घायल हुए छह लोगों का उपचार किया जा रहा है। सभी हताहतों की आयु 25 से 35 वर्ष के बीच है। उन्होंने कहा, 'हमारी संवेदनाएं पीड़ितों के साथ हैं... . हम अपराधियों को न्याय के दायरे में लाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं।' रीड ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि गोलीबारी में कितने हमलावर शामिल थे। उन्होंने बताया कि इस बात का 'कोई संकेत' नहीं है कि यह हमला गिरोह से संबंधित था। पुलिस ने बताया कि अधिकारी संदिग्धों का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज और गवाहों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। घटनास्थल के निकट रहने वाले चौआ वांग ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में गोलीबारी की यहां यह दूसरी घटना है।

नजीब के खिलाफ सुनवाई शुरू

कुआलालंपुर, 18 नवंबर (एपी)।

मलेशिया के पूर्व नेता नजीब रज्जाक के खिलाफ भ्रष्टाचार के तीसरे मामले में सोमवार को सुनवाई शुरू हुई। नजीब (66) 1एमडीबी कोष से हेरफेर से संबंधित भ्रष्टाचार के कई आरोपों का सामना कर रहे हैं। इस घोटाले के कारण उन्हें पिछले वर्ष चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। अभियोजक गोपाल श्री राम ने कहा कि नजीब 1एमडीबी में काफी प्रभाव रखते थे और 2015 के मध्य में पहली बार इस घोटाले के सामने आने पर उन्होंने इसे छुपाने का प्रयास किया था।

गोटबाया ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली

कोलंबो, 18 नवंबर (भाषा)।

श्रीलंका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने सोमवार को अपने शपथग्रहण समारोह में नपा-तुला भाषण दिया। उन्होंने कहा कि उनका देश सभी देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध रखना चाहता है और अंतरराष्ट्रीय शक्तियों के आपसी संघर्ष में तटस्थ बना रहना चाहता है।

श्रीलंका में गृहयुद्ध के दौरान विवादस्पद रक्षा सचिव रहे 70 वर्षीय राष्ट्रपति का बयान काफी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि प्राचीन समय से ही हिंद महासागर में यह देश अपने स्थान और समुद्री रास्ते की वजह से महत्त्वपूर्ण कारोबारी स्थान रहा है। यहां चीन अपना दबदबा बढ़ा रहा है जिससे भारत के लिए चिंता बढ़ रही है। राजपक्षे को रविवार को राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल हुई। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी सजीत प्रेमदास को 13 लाख वोटों से हराया।अनुराधापुर स्थित रुवनवेली सेया से राष्ट्र के नाम अपने पहले संबोधन में राजपक्षे ने विदेश नीति और सतत विकास के बारे में चर्चा की। न्यूज फर्स्ट की खबर के मुताबिक विदेश नीति के बारे में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने कहा कि श्रीलंका सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बरकरार रखेगा लेकिन वह अंतरारष्ट्रीय शक्तियों के बीच आपसी संघर्ष के प्रति तटस्थ रहेगा। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों का समर्थन करने की बात कही और श्रीलंका को सतत विकास में दुनिया के अग्रणी देशों में लाने का संकल्प लिया। राष्ट्रपति ने यह आश्वासन दिया कि उनके प्रशासन में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजपक्षे को लिट्टे के साथ श्रीलंका के 30 साल पुराने गृहयुद्ध को खत्म करने का श्रेय जाता है। देश में सिंहली बौद्ध उन्हें जहां 'युद्ध नायक' के रूप में देखते हैं, वहीं तमिल अल्पसंख्यक उन पर भरोसा नहीं करते हैं।

13 लाख मतों से जीता चुनाव

राजपक्षे (70 वर्षीय) ने प्रेमदास (52 वर्षीय) को 13 लाख से अधिक मतों से पराजित किया। राजपक्षे को 52.25 फीसद (69,24,255) मत मिले जबकि प्रेमदास को 41.99 फीसद (55,64,239) वोट प्राप्त हुए। अन्य उम्मीदवारों को 5.76 फीसद वोट मिले।

संबंधों में तेजी से प्रगति करने को तैयार : चीन

बेजिंग, 18 नवंबर (भाषा)।

चीन ने सोमवार को श्रीलंका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को बधाई दी। उन्होंने कहा कि वह द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों में उनके साथ मिलकर महान प्रगति करने के लिए और बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव (बीआरआइ) के तहत 'उच्च गुणवत्ता' वाली परियोजनाएं सुनिश्चित करने के लिए तैयार है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने कहा कि श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव सफलतापूर्वक हुए। गोटबाया राजपक्षे को बधाई देते हैं। चीन और श्रीलंका रणनीतिक सहयोग साझेदार हैं जिनके बीच गंभीर साझा सहयोग और चिरस्थायी मित्रता है। हम सम्मान, समानता और द्विपक्षीय फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से नए नेतृत्व और सरकार के साथ उच्च गुणवत्ता वाले बीआरआइ सहयोग और द्विपक्षीय संबंधों में महान प्रगति के लिए साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं ताकि दोनों देशों और दोनों ओर की जनता को वास्तविक लाभ प्राप्त हो सके।

फेसबुक पर टीका विरोधी प्रचार, खसरा जैसी बीमारियां बढ़ीं

दो संगठनों ने विज्ञापन के लिए ज्यादातर धन दिया

वाशिंगटन, 18 नवंबर (भाषा)।

फेसबुक पर टीकों (वैक्सीन) के बारे में गलत सूचनाएं फैलाने वाले ज्यादातर विज्ञापनों के लिए भुगतान महज दो संगठनों ने किया। टीका विरोधी अवैज्ञानिक संदेशों के प्रसार के लिए सोशल मीडिया की भूमिका को बताने वाले अध्ययन में यह जानकारी सामने आई है।

अमेरिका के मेरीलैंड विश्वविद्यालय और अन्य संस्थानों के अध्ययनकर्ताओं ने पाया कि टीका विरोधी विज्ञापन खरीदारों के एक छोटे से समूह ने लक्षित उपयोगकर्ताओं तक पहुंचने के लिए फेसबुक का फायदा उठाया। जर्नल 'वैक्सीन' में प्रकाशित अध्ययन में यह भी पाया गया कि पारदर्शिता बढ़ाने के सोशल मीडिया मंचों के प्रयास असल में, टीकाकरण को बढ़ावा देने और वैज्ञानिक खोजों की जानकारी देने वाले विज्ञापनों को हटाने की वजह बन गए।

शोधकर्ताओं ने कहा कि इस शोध में सोशल मीडिया पर मिलने वाली गलत सूचनाओं के खतरे के प्रति सचेत रहने की अपील की गई है क्योंकि यह टीका लगाने की हिचकिचाहट को बढ़ा सकता है जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के मुताबिक इस साल वैश्विक स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़े खतरों में शामिल है।

उन्होंने कहा कि टीका लगाने से इनकार की दर बढ़ने से उन बीमारियों को रोकने में हुई प्रगति बाधित होगी जो मात्र टीके की मदद से रोकी जा सकती हैं जैसे कि खसरा। दुनिया भर में इस बीमारी के मामलों में 30 फीसद इजाफा हुआ है। शोधकर्ताओं ने इन परिणामों तक पहुंचने के लिए फेसबुक उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाए गए 500 से ज्यादा टीका संबंधित विज्ञापनों और फेसबुक की विज्ञापन लाइब्रेरी में आर्काइव कर रखे गए विज्ञापनों का अध्ययन किया।

- शोधकर्ताओं के अनुसार टीका लगाने से इनकार की दर बढ़ने से उन बीमारियों को रोकने में हुई प्रगति बाधित होगी जो मात्र टीके की मदद से रोकी जा सकती हैं जैसे कि खसरा। दुनिया भर में इस बीमारी के मामलों में 30 फीसद इजाफा हुआ है।
- जर्नल 'वैक्सीन' में प्रकाशित अध्ययन में यह भी पाया गया कि पारदर्शिता बढ़ाने के सोशल मीडिया मंचों के प्रयास असल में, टीकाकरण को बढ़ावा देने और वैज्ञानिक खोजों की जानकारी देने वाले विज्ञापनों को हटाने की वजह बन गए।

आतंकवाद के वित्तपोषण के रास्ते बंद किए जाएं : राजनाथ

बैंकाक, 18 नवंबर (भाषा)।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के सुरक्षित पनाहगाहों के खिलाफ वैश्विक स्तर पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए आतंकवादियों के वित्त पोषण के रास्तों को बंद करने का आह्वान किया। छठी आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक - प्लस (एडीएमएम प्लस) को यहां संबोधित करते हुए सिंह ने किसी देश का नाम लिए बगैर कहा कि राज्य प्रायोजित आतंकवाद न सिर्फ 'पीड़ादायी कैंसर' है बल्कि सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले कारणों में भी है।

एडीएमएम प्लस आसियान देशों और उनके आठ वार्ता भागीदारों का एक मंच है जिसमें भारत भी शामिल है। यह समूह नौवहन सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी अभियान और मानवीय सहायता के काम पर ध्यान केंद्रित करता है। उन्होंने कहा, 'यह तब और खराब हो जाता है जब राष्ट्रों द्वारा आतंकवाद की सहायता की जाती है, उन्हें बढ़ावा दिया जाता है, शस्त्र, आर्थिक मदद और शरण मुहैया कराई जाती है। राज्य प्रायोजित आतंकवाद की मौजूदगी न सिर्फ एक पीड़ादायी कैंसर है यह सुरक्षा को खतरा पैदा करने वाले के कारणों में भी है।' माना जा रहा है कि उनका यह बयान पाकिस्तान के संदर्भ में था।

सिंह ने कहा कि आतंकवादियों की सीमापार आवाजाही रोकने और सतत क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आतंकवादियों की पनाहगाहों को खत्म करना होगा और उनके वित्तपोषण के रास्तों को बंद करना होगा। कुछ राष्ट्र अपने राजनीतिक लक्ष्यों के लिए आतंकवाद का इस्तेमाल कर रहे हैं और क्षेत्रीय सुरक्षा को संकट में डाल रहे हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में उन्होंने कहा कि इस बारे में भारत का नजरिया सतत सुरक्षा से संबंधित है ।

SHRIRAM Life Insurance
YOUR PARTNER FOR PROSPERITY
associated with Sanlam group

Shriram Life Insurance Company Limited (IRDA Reg. No.128)

Regd. Office: Ramky Selenium, Plot No. 31 & 32, Beside Andhra Bank Training Centre, Financial District, Gachibowli, Hyderabad-500032, Ph: 040-23009400, Fax: 040-23009456 . www.shriramlife.com CIN : U66010TG2005PLC045616

AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE PERIOD ENDED 30TH SEPTEMBER, 2019

FORM L-1A-A-RA Revenue Account for the Period ended on 30th September 2019 Policyholders' Account (Technical Account)

(Amt. in Rs. Lakhs)

Particulars	For the period ended 30th September 2019							For the period ended 30th September 2018						
	Total	Non-linked				Linked		Total	Non-linked				Linked	
		Life*	Variable Insurance	Health	Annuity	Life	Pension		Life*	Variable Insurance	Health	Annuity	Life	Pension
PREMIUMS EARNED NET														
(a) Premium	69,529.35	66,773.75	579.86	4.56	90.59	1,984.12	96.47	67,305.24	64,793.40	101.18	4.42	53.09	2,280.89	72.25
(b) Reinsurance ceded	(263.18)	(256.46)	-	-	-	(6.72)	-	(225.45)	(219.16)	-	-	-	(6.29)	-
(C) Reinsurance accepted	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL	**69,266.18**	**66,517.30**	**579.86**	**4.56**	**90.59**	**1,977.40**	**96.47**	**67,079.79**	**64,574.24**	**101.18**	**4.42**	**53.09**	**2,274.60**	**72.25**
INCOME FROM INVESTMENTS														
(a) Interest, Dividend & Rent - Gross	12,968.79	11,585.45	318.82	0.65	28.08	1,009.36	26.43	10,400.27	8,974.75	112.80	3.07	23.50	1,251.59	34.55
(b) Profit on sale / redemption of investments	1,951.95	989.01	12.80	0.06	0.68	931.77	17.63	10,340.46	2,541.73	6.87	0.64	1.15	7,722.44	67.63
(c) (Loss on sale / redemption of investments)	(3,734.63)	(1,959.59)	(0.81)	(0.09)	(6.81)	(1,722.01)	(45.32)	(2,095.16)		(0.17)	-	-	(2,094.99)	-
(d) Transfer/Gain on revaluation/ change in fair value	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(e) Unrealised gain	561.17	-	-	-	-	546.42	14.75	(5,783.70)	-	-	-	-	(5,699.51)	(84.20)
(f) Amortisation of (premium)/discount on investments	55.63	(4.87)	(5.13)	-	(0.83)	66.45	-	36.12	(95.77)	(4.19)	(0.04)	(0.55)	136.12	0.54
OTHER INCOME														
(a) Contribution from the Shareholders' account	5.03	-	-	-	5.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(b) Other Income	367.35	315.36		-	-	51.99	-	182.93	175.75	0.94	-	-	6.24	-
SUB-TOTAL	**12,175.29**	**10,925.36**	**325.68**	**0.62**	**26.14**	**883.98**	**13.49**	**13,080.93**	**11,596.47**	**116.26**	**3.67**	**24.11**	**1,321.89**	**18.52**
TOTAL (A)	**81,441.46**	**77,442.66**	**905.54**	**5.18**	**116.74**	**2,861.39**	**109.95**	**80,160.71**	**76,170.71**	**217.44**	**8.09**	**77.20**	**3,596.49**	**90.77**
Commission	4,470.85	4,392.59	-	-	0.34	76.90	1.03	4,433.33	4,377.67	-	-	0.70	53.81	1.15
Operating Expenses Related To Insurance Business	22,447.15	22,067.40	6.11	2.65	1.20	364.50	5.30	20,859.80	20,516.14	3.90	2.11	0.86	331.80	4.99
Provision for doubtful debts	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Service Tax on Ulip Charges	136.94	-	-	-	-	135.41	1.54	156.54	-	-	-	-	155.09	1.45
Bad Debts written off	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provision for Fringe Benefit Tax	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provision for Income Tax	1,666.37	1,615.66	3.15	0.47	(0.86)	47.75	0.18	1,996.76	1,884.68	38.69	1.15	1.04	71.09	0.11
Provisions (other than taxation)														
(a) For diminution in the value of investments (net)	1,724.75	1,578.27	-	-	-	146.48	-	-	-	-	-	-	-	-
(b) Others	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (B)	**30,446.06**	**29,653.92**	**9.26**	**3.12**	**0.68**	**771.03**	**8.04**	**27,446.42**	**26,778.49**	**42.59**	**3.26**	**2.60**	**611.79**	**7.70**
Benefit Paid (Net)	24,517.27	20,753.16	47.00	12.50	19.95	3,629.96	54.69	24,085.67	16,983.57	(175.60)	-	15.88	7,214.37	47.44
Interim Bonuses Paid	20.71	20.71	-	-	-	-	-	18.55	18.55	-	-	-	-	-
Change in valuation of liability in respect of life Policies in force														
(a) Gross	24,289.72	25,149.74	830.78	(13.22)	96.11	(1,819.83)	46.15	24,937.73	29,375.49	123.43	(1.92)	52.64	(4,646.87)	34.96
(b) Fund Reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(c) Amount ceded in Re-insurance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(d) Amount accepted in Re-insurance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (C)	**48,827.70**	**45,923.61**	**877.78**	**(0.72)**	**116.06**	**1,810.13**	**100.84**	**49,041.95**	**46,377.61**	**(52.17)**	**(1.92)**	**68.53**	**2,567.51**	**82.41**
SURPLUS/ (DEFICIT) (D) = (A)-(B)-(C)	2,167.70	1,865.14	18.49	2.78	-	280.22	1.07	3,672.33	3,014.61	227.03	6.75	6.08	417.19	0.66
Balance of previous year	816.32	741.85	-	-	-	74.48	-	232.12	71.03	-	-	-	161.09	-
APPROPRIATIONS	2,984.03	2,606.99	18.49	2.78	-	354.70	1.07	3,904.46	3,085.65	227.03	6.75	6.08	578.29	0.66
Reserve for lapsed unit linked policies unlikely to be revived	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfer to Shareholders' account	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Balance being funds for future appropriations	2,984.03	2,606.99	18.49	2.78	-	354.70	1.07	3,904.46	3,085.65	227.03	6.75	6.08	578.29	0.66

* Includes Non-participating & Participating

FORM L-2A-A-P&L
Audited Profit & Loss Account for the Period ended on 30th September, 2019
Shareholders' Account (Non-Technical Account)

(Amt. in Rs. Lakhs)

Particulars	For the Period ended 30th Sept, 2019	For the Period ended 30th Sept. 2018
Amounts transferred from/to the Policyholders Account (Technical Account)		
(a) Interest, Dividends & Rent – Gross	1,055.72	1,010.46
(b) Profit on sale/redemption of investments	420.46	2,320.79
(c) (Loss on sale/redemption of investments)	(943.33)	(2,963.84)
(d) Amortisation of (premium)/discount on investments	(18.88)	(21.77)
Other Income	5.82	2.29
TOTAL (A)	**519.79**	**347.93**
Expense other than those directly related to the insurance business / Expenses Absorbed in P&L	78.16	15.30
Transferred to Policyholders' Account	5.03	-
Bad debts written off	-	-
Provisions (Other than taxation)		
(a) For diminution in the value of investments (Net)	333.25	-
(b) Provision for doubtful debts	-	-
(c) Others	-	-
TOTAL (B)	**416.44**	**15.30**
Profit/ (Loss) before tax	**103.35**	**332.63**
Provision for Taxation	15.78	48.43
Profit / (Loss) after tax	**87.57**	**284.20**
APPROPRIATIONS		
(a) Balance at the beginning of the year.	44,638.80	40,575.12
(b) Dividend paid during the year	-	-
(c) Proposed final dividend	-	-
(d) Dividend distribution tax	-	-
(e) Transfer to reserves/ other accounts	-	-
(f) CSR Expenses	104.90	7.00
PROFIT/(LOSS) CARRIED FORWARD TO BALANCE SHEET	**44,621.47**	**40,852.32**

FORM L-3A-A-BS
Audited Balance Sheet as at 30th September, 2019

(Amt. in Rs. Lakhs)

Particulars	As at 30th Sept. 2019	As at 30th Sept. 2018
SOURCES OF FUNDS		
Shareholders' Fund		
Share Capital	17,568.25	17,515.87
Reserves and Surplus	44,717.02	40,874.54
Credit/(Debit)/ Fair Value Change Account	1,320.46	(1,660.00)
Sub-Total	**63,605.73**	**56,730.40**
Borrowings		
Policyholders' Fund		
Credit/(Debit)/ Fair Value Change Account	2,438.00	490.69
Policy Liabilities	353,015.86	275,971.58
Insurance Reserves	-	-
Provision for Linked Liabilities	49,534.79	56,296.42
Funds for discontinued policies		
(i) Discontinued on account of non-payment of premium	1,698.31	2,357.99
(ii) Others	-	-
Sub-Total	**406,686.97**	**335,116.68**
FUNDS FOR FUTURE APPROPRIATIONS	2,984.03	3,904.46
TOTAL	**473,276.73**	**395,751.54**
APPLICATION OF FUNDS		
Investments		
- Shareholders'	56,281.55	53,284.14
- Policyholders'	345,759.92	267,583.20
Assets Held to Cover Linked Liabilities	51,233.11	58,654.41
Loans	3,278.44	1,404.69
Fixed Assets	6,110.04	4,016.61
Current Assets		
Cash and Bank Balances	7,570.66	12,897.70
Advances and Other Assets	28,515.34	24,704.70
Sub-Total (A)	**36,086.01**	**37,602.39**
Current Liabilities	23,378.43	24,171.12
Provisions	2,093.90	2,622.78
Sub-Total (B)	**25,472.34**	**26,793.90**
NET CURRENT ASSETS (C) = (A – B)	10,613.67	10,808.49
MISCELLANEOUS EXPENDITURE (to the extent not written off or adjusted)	-	-
DEBIT BALANCE IN PROFIT & LOSS ACCOUNT (Shareholders' Account)	-	-
DEBIT BALANCE IN Revenue Account (Policyholders' Account)	-	-
TOTAL	**473,276.73**	**395,751.54**

FORM L-22A - Analytical Ratios

Sl. No.	Particulars	For the Quarter ended 30th Sept.2019	Period Ended 30th Sept.2019	For the Quarter ended 30th Sept.2018	Period Ended 30th Sept.2018
1	New business premium income growth rate - segment wise				
	Participating Individual Life	5.2%	15.6%	30.2%	10.5%
	Non-Participating Life Individual & Group	-24.1%	-20.5%	28.1%	9.2%
	Non-Participating Health	110.3%	-40.6%	-100.1%	0.0%
	Non-Participating Variable Insurance	0.0%	473.2%	-100.0%	-83.9%
	Non-Participating Non Linked Annuity	3.9%	70.6%	-70.0%	-71.8%
	Linked Non-Participating Pension	-38.1%	-7.2%	125.0%	213.4%
	Linked Non-Participating Life	-35.9%	-23.7%	-19.5%	-23.8%
2	Net Retention Ratio	99.7%	99.6%	99.7%	99.7%
3	Expense of Management to Gross Direct Premium Ratio	36.2%	38.7%	37.1%	37.6%
4	Commission Ratio (Gross commission paid to Gross Premium)	6.9%	6.4%	6.9%	6.6%
5	Ratio of policy holder's liabilities to shareholder's funds	644.1%	644.1%	597.6%	597.6%
6	Growth rate of shareholders' fund	12.1%	12.1%	5.0%	5.0%
7	Ratio of surplus to policy holders' liability	6.6%	0.5%	18.6%	1.1%
8	Change in net worth (Rs. in Lakhs)	6875	6875	2693	2693
9	Profit after tax/Total Income	0.8%	0.1%	0.7%	0.4%
10	(Total real estate + loans)/(Cash & invested assets)	0.7%	0.7%	0.4%	0.4%
11	Total investments/(Capital + Surplus)	733.0%	733.0%	652.4%	652.4%
12	Total affiliated investments/(Capital+ Surplus)	-	-	-	-
13	Investment Yield (Gross and Net)				
	A. With Realised Gains				
	Policyholders				
	Non-Linked				
	Par	3.5%	4.2%	2.7%	4.6%
	Non-Par	1.9%	3.7%	2.8%	4.3%
	Linked				
	Non-Par	0.3%	-1.1%	-0.9%	10.7%
	Shareholders	2.0%	0.3%	0.5%	1.3%
	B. With Unrealised Gains				
	Policyholders				
	Non-Linked				
	Par	4.2%	7.1%	2.3%	3.5%
	Non-Par	2.6%	6.2%	1.9%	2.6%
	Linked				
	Non-Par	2.3%	0.5%	-1.4%	-0.5%
	Shareholders	4.5%	0.6%	-5.6%	-3.1%
14	Conservation Ratio				
	Participating Life	85.6%	85.5%	81.9%	78.1%
	Non-participating Life	73.9%	72.0%	73.8%	70.4%
	Linked Life	76.0%	79.7%	71.9%	66.9%
	Linked Pension	95.3%	93.5%	63.9%	65.2%
15	Persistency Ratio (Premium basis)				
	For 13th month	61.7%	62.3%	56.7%	60.0%
	For 25th month	47.0%	50.1%	46.0%	47.6%
	For 37th month	42.4%	43.0%	33.2%	35.1%
	For 49th Month	31.2%	33.0%	45.9%	52.1%
	for 61st month	36.9%	39.8%	38.3%	38.2%
	Persistency Ratio (Number basis)				
	For 13th month	51.5%	53.1%	50.6%	52.9%
	For 25th month	35.4%	37.6%	32.4%	34.4%
	For 37th month	28.0%	27.5%	19.6%	20.7%
	For 49th Month	17.5%	18.4%	22.5%	24.5%
	For 61st month	19.5%	20.0%	20.5%	21.4%
16	NPA Ratio				
	Gross NPA Ratio	-	-	-	-
	Net NPA Ratio	-	-	-	-

Note:
1) This disclosure is made in accordance with and as per the definition given in IRDA Circular No.IRDA/F&I/012/01/2010 dated 28th, January 2010.
2) The financial statements of the Company for the period ended September 30th, 2019 and September 30th, 2018 were audited by the Joint Statutory Auditors of the Company.
3) Previous year / Period figures are regrouped / rearranged wherever necessary to make them comparable with those of the current year/period.
4) The above results have been approved by Board of Directors in its meeting held on November 05th, 2019.

Place : Chennai
Date: 05.11.2019

For and on behalf of Board of Directors
Sd/- Casparus J H Kromhout Managing Director & CEO

खबर कोना

लंदन : डोमिनिक थीम को हराकर एटीपी फाइनल्स का खिताब जीतने के बाद स्टीफानोस सिटसिपास।

सिटसिपास ने एटीपी फाइनल्स खिताब जीता

लंदन, 18 नवंबर (एएफपी) ।

स्टीफानोस सिटसिपास ने डोमिनिक थीम को हराकर एटीपी फाइनल्स खिताब जीत लिया। यूनान के 21 बरस के सिटसिपास ने 6-7, 6-2, 7-6 से जीत दर्ज की। वह लेटन हैविट (2001) के बाद खिताब जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। यह इस सत्र में सिटसिपास का तीसरा खिताब है। उन्होंने मिलान में नेक्स्ट जेन एटीपी फाइनल्स भी जीता था। यहां उन्होंने सेमीफाइनल में छह बार के चैम्पियन रोजर फेडरर को सीधे सेटों में मात दी थी।

भारतीय महिला टीम ने वेस्ट इंडीज को हराकर चौथा टी-20 मैच जीता

प्रोविडेंस, 18 नवंबर (भाषा) ।

शृंखला पहले ही जीत चुकी भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वर्षाबाधित चौथे टी-20 मैच में वेस्ट इंडीज को पांच रन से हराकर चौथा टी-20 मैच भी अपनी झोली में डाला। भारतीय महिला टीम अब पांच मैचों की शृंखला में 4-0 से आगे है। चौथा मैच बारिश के कारण प्रति टीम नौ ओवर का कर दिया गया। भारत ने सात विकेट खोकर 50 रन बनाए। पूजा वस्त्रकार (10) दोहरे अंक तक पहुंचने वाली अकेली भारतीय रही। मेजबान के लिए हेली मैथ्यूज ने 13 रन देकर तीन विकेट लिए जबकि एफी फ्लेचर और शेनेटा ग्रिमंड को दो-दो विकेट मिले। भारतीय टीम ने गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण में काफी अनुशासन दिखाया। वेस्ट इंडीज की टीम नौ ओवर में पांच विकेट पर 45 रन ही बना सकी। ऑफ स्पिनर अनुजा पाटिल ने दो विकेट लिए जबकि दीप्ति शर्मा और राधा यादव को एक-एक विकेट मिला। पांचवां ओर आखिरी मैच गुरुवार को खेला जाएगा।

साइना कोरिया मास्टर्स से हटीं, श्रीकांत की निगाहें अच्छे प्रदर्शन पर

ग्वांगजू (कोरिया), 18 नवंबर (भाषा) ।

फार्म में वापसी करने वाले किदांबी श्रीकांत मंगलवार से यहां क्वालीफायर के साथ शुरू हो रहे कोरिया मास्टर्स विश्व टूर सुपर 300 टूर्नामेंट में अच्छे प्रदर्शन के इरादे से उतरेंगे जबकि साइना नेहवाल इस प्रतियोगिता से हट गई हैं। इस साल इंडिया ओपन के फाइनल में जगह बनाने के बाद से श्रीकांत का प्रदर्शन काफी अच्छा नहीं रहा लेकिन पिछले हफ्ते हांगकांग ओपन के सेमी फाइनल में जगह बनाने के बाद दुनिया के इस पूर्व नंबर एक खिलाड़ी का मनोबल बढ़ा होगा। श्रीकांत पुरुष एकल में अपने अभियान की शुरुआत हांगकांग के वोंग विग की विन्सेंट के खिलाफ करेंगे। दुनिया के 13वें नंबर के खिलाड़ी श्रीकांत ने विन्सेंट के खिलाफ 10 मैचों में जीत दर्ज की है जबकि तीन में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। विन्सेंट अगस्त में अपने पिता के निधन के बाद वापसी कर रहे हैं। खराब फार्म से जूझ रही दुनिया की नौवें नंबर की खिलाड़ी साइना नेहवाल ने टूर्नामेंट से हटने का फैसला किया है लेकिन उनके अगले हफ्ते लखनऊ में सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय विश्व टूर सुपर 300 टूर्नामेंट में खेलने की संभावना है। साइना के हटने के बाद महिला एकल में भारत का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होगा। पुरुष एकल में दुनिया के 16वें नंबर के खिलाड़ी समीर वर्मा को पहले दौर में शीर्ष वरीय चीन के शी युकी से भिड़ना है।

ओमान के खिलाफ भारत का 'करो या मरो' का मुकाबला

विश्व कप फुटबॉल क्वालीफाइंग आज रात 8:30 से

मस्कट, 18 नवंबर (भाषा) ।

अब तक चारों मैच हार चुकी भारतीय फुटबॉल टीम विश्व कप क्वालीफाइंग दौर के 'करो या मरो' के मुकाबले में मंगलवार को ऊंची रैंकिंग वाली ओमान टीम से खेलेगी।

गुवाहाटी में सितंबर में खेले गए पहले चरण के मैच में पहले हाफ में सुनील छेत्री के गोल की मदद से भारत ने जीत की उम्मीद बंधाई थी लेकिन आखिरी दस मिनट में ओमान ने दो गोल करके भारत को हराया। इससे पहले 14 नवंबर को बांग्लादेश के खिलाफ ओमान ने 4-1 से शानदार जीत दर्ज की।

दूसरी ओर भारत ने एशियाई चैंपियन कतर से गोलरहित ड्रा खेलने के बाद निचली रैंकिंग वाली अफगानिस्तान और बांग्लादेश टीमों से भी ड्रा खेला। तीन ड्रा और एक हार के बाद भारत ग्रुप ई में तीन अंक लेकर चौथे स्थान पर है जबकि ओमान चार मैचों में नौ अंक के साथ दूसरे स्थान पर है। कतर दस अंक लेकर शीर्ष पर है। ओमान पर अप्रत्याशित जीत से इगोर स्टिमक की टीम की उम्मीदें जीवंत रहेंगी लेकिन हारने से भारत विश्व कप 2022 क्वालीफिकेशन की दौड़ से बाहर हो जाएगा। हारने पर भारत ओमान से नौ अंक पीछे हो जाएगा और उसके तीन मैच बाकी रहेंगे यानी अधिकतम नौ अंक ही मिल सकेंगे। आठों ग्रुप की उपविजेता टीम को भी तीसरे दौर में स्वतः जगह मिलना तय नहीं है। भारत को कतर (26 मार्च), बांग्लादेश (चार जून) और अफगानिस्तान (नौ जून) से खेलने हैं। ओमान के खिलाफ कम से कम एक अंक लेना भारत के लिए अहम होगा क्योंकि इससे एशियाई कप 2023 क्वालीफायर के तीसरे दौर में जगह पाना भारत के लिए आसान होगा।

यह टूर्नामेंट 2023 एशियाई कप के लिए संयुक्त क्वालीफाइंग दौर है। आठों ग्रुप से तीसरे स्थान की टीमें और चौथे स्थान की सर्वश्रेष्ठ चार टीमें एशियाई कप क्वालीफायर के तीसरे दौर में पहुंचेंगी।

भारतीय टीम अब सिर्फ छेत्री पर निर्भर नहीं है लेकिन मौकों को भुनाने में नाकाम रहना उसे भारी पड़ा। स्टिमक ने कहा, ओमान की टीम उससे कहीं बेहतर है जिससे हमने गुवाहाटी में खेला था। वह प्रबल दावेदार होगी।

आमने सामने कुल मैच-11
भारत जीता-00
ओमान जीता-08
तीन मैचों में दौनों के बीच मुकाबला ड्रा रहा

शिकस्त-अब तक चारों मैच हार चुकी है भारतीय टीम
गुवाहाटी में सितंबर में खेले गए पहले चरण के मैच में 2-1 मिली हार

भारतीय टीम

गुरप्रीत सिंह संधू, अमरिंदर सिंह, धीरज सिंह, प्रीतम कोताल, निशु कुमार, राहुल भेके, नरेंदर, आदिल खान, सार्थक गोलुइ, सुभाशीष बोस, मंदार राव देसाइ, उदांता सिंह, जैकीचंद सिंह, सेमिनलेन डाउंगेल, रेनियर फर्नांडिस, विनित राय, सहल अब्दुल समद, प्रणय हलधर, अनिरूद्ध थापा, लालियांजुआला छांगटे, ब्रेंडन फर्नांडिस, आशिक कुरूनियान, सुनील छेत्री, मनवीर सिंह, फारूख चौधरी।

स्वागत कोलकाता में सोमवार को बॉलीवुड अदाकारा रानी मुखजी एक कार्यक्रम में बीसीसीआइ अध्यक्ष सौरव गांगुली के साथ।

श्रेयसी सिंह बनी महिला ट्रैप में राष्ट्रीय चैंपियन

नई दिल्ली, 18 नवंबर (भाषा)।

मौजूदा राष्ट्रमंडल चैंपियन श्रेयसी सिंह ने 63वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा में खिताब जीता। बिहार की रहने वाली श्रेयसी ने डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित स्पर्धा के फाइनल में पंजाब की राजेश्वरी कुमारी को मात दी। उसने 50 में से 42 शॉट निशाने पर लगाए जबकि राजेश्वरी ने 38 शॉट लगाए।

यह श्रेयसी के करिअर का चौथा व्यक्तिगत राष्ट्रीय खिताब है जबकि ट्रैप में उसने पहली बार खिताब जीता है। क्वालीफिकेशन दौर में राजेश्वरी ने 125 में से 118 स्कोर किया। श्रेयसी ने 112 का स्कोर करके चौथा स्थान हासिल किया। मध्य प्रदेश की प्रगति दुबे ने कांस्य पदक जीता। राजेश्वरी ने पंजाब की इनाया विजय सिंह और प्रभसुखमन कौर के साथ महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा में टीम वर्ग का स्वर्ण पदक जीता। पंजाब की तिकड़ी ने 319 अंक बनाए जबकि राजस्थान ने 311 अंक बनाकर दूसरा और मध्य प्रदेश ने तीसरा स्थान हासिल किया। दिल्ली की वर्धा शर्मा ने शूटआफ में जूनियर महिला ट्रैप स्पर्धा का स्वर्ण जीता जबकि मप्र की मनीषा कीर ने रजत पदक हासिल किया। प्रीति रजत को कांस्य पदक मिला। मनीषा, प्रीति और नीरू ने मप्र को स्वर्ण दिलाया। हरियाणा को रजत और दिल्ली को कांस्य पदक मिला।

करिअर का चौथा व्यक्तिगत राष्ट्रीय खिताब अपने नाम किया

विश्व पैरा चैंपियनशिप के पदक विजेताओं को किया सम्मानित

सोना लाने वाले पैरा खिलाड़ियों को मिले 20-20 लाख रुपए नकद

नई दिल्ली, 18 नवंबर (भाषा) ।

खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को सोमवार को नकद राशि से सम्मानित किया।

दुबई में हुए इन खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने दो स्वर्ण, दो रजत और पांच कांस्य पदक सहित कुल नौ पदक जीते। भारतीय खिलाड़ियों ने इसके साथ ही तोक्यो 2020 पैरालंपिक खेलों के लिए 13 कोटे भी हासिल किए। पैरालंपिक के लिए भारत अब तक 23 कोटा हासिल कर चुका है। भाला फेंक के एफ64 और एफ46 प्रतियोगिता के स्वर्ण पदक विजेताओं संदीप चौधरी और सुंदर सिंह को 20-20 लाख रुपए इनाम के तौर पर दिए गए। इस दौरान संदीप चौधरी एफ 44 भाला फेंक स्पर्धा में 66.18 मीटर की दूरी के साथ विश्व रेकार्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। सुंदर सिंह ने कंधे की चोट के बावजूद पुरुषों की एफ46 भाला फेंक स्पर्धा में अपने खिताब का सफलतापूर्वक बचाव किया। भाला फेंक (एफ 44) में ही रजत पदक जीतने वाले सुमित अंतिल को 14 लाख रुपए का पुरस्कार मिला। ऊंची कूद के टी63 स्पर्धा में रजत जीतने वाले शरद कुमार को भी यही पुरस्कार राशि दी गयी। पांच कांस्य पदक विजेताओं को आठ-आठ लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया। इसमें विनय कुमार लाल (पुरुषों की 400 मीटर, टी44), योगेश कथुनिया (पुरुष चक्का फेंक, एफ56), मरियप्पन थंगावेलु (पुरुषों की ऊंची कूद, टी63), निषाद कुमार (पुरुषों की ऊंची कूद, टी47) और अजीत सिंह (पुरुषों की भाला एफ 46) शामिल हैं।

इस मौके पर रिजिजू ने कहा, मैं देश, मंत्रालय और सरकार की ओर से इस प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को सलाम करता हूं। हमने यह सुनिश्चित किया है कि आपको सही समय पर वित्तीय सहायता मिल सके।

किरेन रिजिजू ने कहा, मैं इस प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को सलाम करता हूं।

भारत के खिलाफ मैच से हटे ऐसाम

डेविस कप तटस्थ स्थल पर मुकाबला स्थानांतरित करने के फैसले का पाकिस्तान के शीर्ष टेनिस खिलाड़ी ने किया विरोध

कराची, 18 नवंबर (भाषा) ।

पाकिस्तान के शीर्ष युगल खिलाड़ी ऐसाम उल हक कुरैशी ने भारत के खिलाफ आगामी डेविस कप मुकाबले को इस्लामाबाद से तटस्थ स्थान पर स्थानांतरित करने के अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ (आइटीएफ) के फैसले के विरोध में इस मैच में खेलने से इनकार कर दिया।

पाकिस्तान के सर्वश्रेष्ठ टेनिस खिलाड़ियों में से एक ऐसाम ने इंस्टाग्राम के जरिए अपने फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अगर मुकाबले का आयोजन इस्लामाबाद में नहीं होता है तो वह इसमें नहीं खेलेंगे। उनकी इस पोस्ट से संकेत मिलते हैं कि आइटीएफ तटस्थ स्थान पर मुकाबले को स्थानांतरित करने के खिलाफ पाकिस्तान टेनिस महासंघ की अपील को खारिज कर सकता है। अपनी पोस्ट में पीटीएफ अध्यक्ष सलीम सैफुल्लाह को जानकारी देते हुए ऐसाम ने भारत और आइटीएफ की आलोचना की। ऐसाम ने लिखा, आइटीएफ अगर इस गलत फैसले को सही नहीं करता है तो इस अन्यायपूर्ण, अनुचित और भेदभाव से भरे फैसले के विरोध में मैं अपनी आवाज उठाना चाहता हूं और घोषणा करता हूं कि अगर यह मुकाबला पाकिस्तान के बाहर हुआ तो इसमें हिस्सा नहीं लूंगा।

कंधे की चोट के कारण बाहर हुए बोपन्ना

नई दिल्ली, 18 नवंबर (भाषा) ।

भारत के सीनियर टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना कंधे की चोट के कारण पाकिस्तान के खिलाफ आगामी डेविस कप मुकाबले से बाहर हो गए हैं जिसके बाद टीम में जीवन नेदुंचेझियान को जगह मिल सकती है। बोपन्ना ने सोमवार को एमआरआइ स्कैन कराने के बाद अपने फैसले से टीम के गैर खिलाड़ी कप्तान रोहित राजपाल को अवगत करा दिया। पाकिस्तान के खिलाफ 29 और 30 नवंबर को खेले जाने वाले मुकाबले के लिए बोपन्ना की जोड़ी दिग्गज लिएंडर पेस के साथ बनाए जाने की संभावना थी।

एआइटीए चयन समिति द्वारा घोषित आठ सदस्यीय टीम में बाएं हाथ के नेदुंचेझियान को तीन रिजर्व खिलाड़ियों में रखा गया था। राजपाल ने एजंसी से कहा, टीम में रोहन (बोपन्ना) का नहीं होना निराशाजनक है। हम चाहते हैं कि वह अपने कंधे का ख्याल रखे।

ओड़ीशा को 20 रन से हराकर दिल्ली ने सुपर लीग के लिए क्वालीफाई किया

मुश्ताक अली ट्रॉफी

सूरत, 18 नवंबर (भाषा) ।

हरफनमौला ललित यादव के तीन विकेट से दिल्ली ने सोमवार को यहां सैयद मुश्ताक अली टी-20 टूर्नामेंट के ग्रुप ई मैच में ओड़ीशा को 20 रन से हराकर शीर्ष पर रहते हुए सुपर लीग के लिए क्वालीफाई किया।

दिल्ली की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए छह विकेट पर 149 रन बनाए और फिर ओड़ीशा को 18.1 ओवर में 129 रन पर समेटकर जीत दर्ज की। टीम ने सात मैचों में 22 अंक हासिल किए। खराब फार्म से जूझ रहे सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने दिल्ली की ओर से 33 गेंद में तीन चौकों और एक छक्के की मदद से सर्वाधिक 33 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज हितेन दलाल और तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे ध्रुव शोरे (26) अच्छी शुरुआत का फायदा उठाने में नाकाम रहे। ओड़ीशा की ओर से अभिषेक राउत ने 21 रन देकर दो विकेट हासिल किए जबकि गोविंदा पोदार, सूर्यकांत प्रधान, पप्पू राय और शुभम नायक ने एक-एक विकेट चटकाया। इसके जवाब में यादव (10 रन पर तीन विकेट), पवन नेगी (38 रन पर दो विकेट) और नितीश राणा (छह रन पर दो विकेट) की फिरकर के सामने ओड़ीशा की टीम ने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए और टीम को हार का सामना करना पड़ा। ओड़ीशा ने 7.2 ओवर में 36 रन तक ही पांच विकेट गंवा दिए थे। सूर्यकांत ने 20 गेंद में 48 रन की पारी खेली लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके।

भारत ने हांगकांग को हराया, सेमी फाइनल में पाकिस्तान से भिड़ंत

एमर्जिंग कप

सावर (बांग्लादेश), 18 नवंबर (भाषा) ।

चिन्मय सुतार और शुभम शर्मा के शानदार प्रदर्शन से भारत ने सोमवार को यहां एसीसी एमर्जिंग टीम्स कप में हांगकांग को 120 रन से हरा दिया।

भारत अब सेमी फाइनल में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से भिड़ेगा। सुतार ने 85 गेंद में नाबाद 104 जबकि शुभम ने 55 गेंद में नाबाद 65 रन की पारी खेली जिससे भारत ने 50 ओवर में पांच विकेट पर 322 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज और विकेटकीपर बीआर शरत ने भी 90 गेंद में 90 रन की पारी खेली।

शुभम ने गेंदबाजी में भी कमाल दिखाते हुए 32 रन देकर चार विकेट चटकाए जिससे भारत ने हांगकांग को 47.3 ओवर में 202 रन पर ढेर कर दिया। शाहिद वसीफ ने हांगकांग की ओर से 84 गेंद में सर्वाधिक 68 रन बनाए। भारत बुधवार को सेमी फाइनल में ढाका में पाकिस्तान से भिड़ेगा जबकि एक अन्य सेमी फाइनल में मेजबान बांग्लादेश का सामना अफगानिस्तान से होगा। फाइनल ढाका में 23 नवंबर को खेला जाएगा। भारत लीग चरण में बांग्लादेश के बाद दूसरे स्थान पर रहा था। भारत को लीग चरण में मेजबान टीम के खिलाफ हार झेलनी पड़ी थी।

नडाल ने पांचवीं बार शीर्ष खिलाड़ी के तौर पर साल का अंत किया

पेरिस, 18 नवंबर (एएफपी) ।

रफेल नडाल पिछले सप्ताह खेले गए एटीपी फाइनल्स के ग्रुप चरण से आगे नहीं बढ़ने के बावजूद एटीपी की सोमवार को जारी साल की आखिरी रैंकिंग में शीर्ष पर काबिज रहने में सफल रहे।

यह पांचवीं बार है जब नडाल ने साल का अंत शीर्ष खिलाड़ी के रूप में किया है। नडाल 9,985 अंक के साथ रैंकिंग में दूसरे स्थान पर काबिज सर्बिया के नोवाक जोकोविच से 840 अंक आगे हैं। जोकोविच के पास हालांकि शीर्ष पर पहुंचने का मौका था लेकिन वह लंदन में खेले गए एटीपी फाइनल्स के सेमी फाइनल में पहुंचने में नाकाम रहे। नडाल ने पांचवीं बार शीर्ष खिलाड़ी के तौर पर साल खत्म करने के मामले में दिग्गज रोजर फेडरर और जोकोविच की बराबरी की। जोकोविच ने इस साल आस्ट्रेलियाई ओपन और विंबलडन में जीत दर्ज की जबकि नडाल ने फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन में जीत का परचम लहराया। फेडरर ने साल का अंत तीसरे नंबर के खिलाड़ी के तौर पर किया। एटीपी फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में स्टीफानोस सिटसिपास से हार का सामना करने वाले डोमिनिक थीम रैंकिंग में चौथे स्थान पर हैं। यूनान के 21 साल के सिटसिपास दानिल मेदवेदेव के बाद छठे पायदान पर हैं। विश्व रैंकिंग में पहले स्थान पर काबिज रहे एंडी मरे साल की शुरुआत में 240वें पायदान पर थे लेकिन कूल्हे की सर्जरी के बाद खेल से दूर रहने के कारण उनकी रैंकिंग 503वें स्थान पर पहुंच गई।

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 37, अंक 2, *हवाई शुल्क:* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोन: (0120) 2470700/2470740, ई-मेल: edit.jansatta@expressindia.com, फैक्स: (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्ष: विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादक: मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइट: दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।